INDEX

SL.NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	APPLICATION FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS WITH AFFIDAVIT	1-10
2.	**ANNEXURE P19** COPY OF NOTIFICATION DATED 6.3.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILISERS, WITH RESPECT TO THE COMPENSATION CLAIMS BY BHOPAL GAS VICTIMS	11-14
3.	**ANNEXURE P20** COPY OF NOTIFICATION DATED 6.3.2017 ISSUED BY MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, WITH RESPECT TO THE BONDED LABOUR REHABILITATION SCHEME	15-18
4.	**ANNEXURE P21** COPY OF NOTIFICATION DATED 28.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, WITH RESPECT TO THE MID-DAY MEAL SCHEME	19-25
5.	**ANNEXURE P22** COPY OF NOTIFICATION DATED 16.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, WITH RESPECT TO THE NATIONAL MEANS-CUM-MERIT SCHOLARSHIP SCHEME	26-30
6.	**ANNEXURE P23** COPY OF NOTIFICATION DATED 16.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, WITH RESPECT TO THE CENTRAL SECTOR AND CENTRALLY SPONSORED SCHOLARSHIP SCHEMES	31 -35
7.	**ANNEXURE P24** COPY OF NOTIFICATION DATED 3.3.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, WITH RESPECT TO THE CENTRAL SECTOR SCHOLARSHIP SCHEMES FOR EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES	36-39
8.	**ANNEXURE P25** COPY OF NOTIFICATION DATED 3.3.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, WITH RESPECT TO THE NATIONAL ACTION PLAN FOR SKILL TRAINING OF PERSONS WITH DISABILITIES UNDER THE CENTRAL SECTOR SCHEME FOR IMPLEMENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY ACT, 1995 (SIPDA)	40-43
9.	**ANNEXURE P-26** COPY OF NOTIFICATION DATED 3.3.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, WITH RESPECT TO THE SCHEME OF ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS FOR PURCHASE AND, OR, FITTING OF AIDS AND APPLIANCES (ADIP)	44-48

10.	**ANNEXURE P-27** COPY OF NOTIFICATION DATED 8.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION, WITH RESPECT TO THE TARGETED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (HEREINAFTER REFERRED TO AS TPDS) FOR IMPLEMENTATION OF RELEVANT PROVISIONS OF THE NATIONAL FOOD SECURITY ACT, 2013	49-52
11.	**ANNEXURE P-28** COPY OF NOTIFICATION DATED 2.3.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT WITH RESPECT TO THE SARVA SHIKSHA ABHIYAN SCHEME	53-60
12.	**ANNEXURE P-29** COPY OF NOTIFICATION DATED 28.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE WITH RESPECT TO THE REMUNERATION FOR THE WORK PERFORMED BY THE CONTRACTUAL LABOUR EVERY MONTH IN THE NATIONAL HEALTH MISSION SCHEME	61-64
13.	**ANNEXURE P-30** COPY OF NOTIFICATION DATED 28.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE WITH RESPECT TO THE PERFORMANCE BASED INCENTIVES ARE PAID AS BENEFITS TO ACCREDITED SOCIAL HEALTH ACTIVISTS (ASHA) IN THE NATIONAL HEALTH MISSION SCHEME	65-68
14.	**ANNEXURE P-31** COPY OF NOTIFICATION DATED 27.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT WITH RESPECT TO THE STIPEND TO BE PAID TO SC/STS AND DISABLED PERSONS ELIGIBLE UNDER NATIONAL CAREER SERVICES SCHEME	69-77
15.	**ANNEXURE P-32** COPY OF NOTIFICATION DATED 25.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT WITH RESPECT TO THE SUPPORT TO TRAINING AND EMPLOYMENT PROGRAMME (STEP) SCHEME	78-81
16.	**ANNEXURE P-33** COPY OF NOTIFICATION DATED 23.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT WITH RESPECT TO THE UJJAWALA SCHEME	82-85
17.	**ANNEXURE P-34** COPY OF NOTIFICATION DATED 23.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT WITH RESPECT TO THE SWADHAR GREH SCHEME	86-89
18.	**ANNEXURE P-35** COPY OF NOTIFICATION DATED 21.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT WITH RESPECT TO THE SAAKSHAR BHARAT. SCHEME	90-98
19.	**ANNEXURE P-36** COPY OF NOTIFICATION DATED 15.2.2017 ISSUED BY THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING WITH RESPECT TO THE GRIH KALYAN KENDRAS SCHEME	99-101

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

I.A. NO. ____ OF 2017

IN

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 372 OF 2017

IN THE MATTER OF

SHANTHA SINHA AND ANOTHER ...PETITIONERS

VERSUS

UNION OF INDIA AND ANOTHER ...RESPONDENTS

AN APPLICATION FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS

To
The HON'BLE THE CHIEF JUSTICE OF INDIA
AND HIS COMPANION JUSTICES OF THE
HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA

THE HUMBLE PETITION OF THE
PETITIONER ABOVENAMED

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

1. The Petitioner have filed the accompanying writ petition under Article 32 of the Constitution of India in public interest challenging the constitutional validity of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ['impugned Act'] raising various issues, including among others, protection of fundamental rights under Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India. The Petitioner submit that the accompanying writ petition may be treated as part and parcel of this application and the contents of the same are not repeated herein for the sake of brevity.

2. It is submitted that the different ministries of the Respondent No. 1 have issued different Notifications under Section 7 of the Impugned Act, making possession of an Aadhaar number a mandatory condition for obtaining social benefits. The following Notifications are sought to be annexed to the present petition for the purpose of indicating how the Respondent have made possession of Aadhaar number as a mandatory condition: -

i. Notification dated 6.3.2017 issued by the Ministry of Chemicals & Fertilisers, with respect to the Compensation claims by Bhopal Gas Victims

ii. Notification dated 6.3.2017 issued by the Ministry of Labour & Employment, with respect to the Bonded Labour Rehabilitation Scheme

iii. Notification dated 28.2.2017 issued by the Ministry of Human Resource Development, with respect to the Mid-Day Meal Scheme,

iv. Notification dated 15.2.2017 issued by the Ministry of Human Resource Development, with respect to the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme,

v. Notification dated 16.2.2017 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, with respect to the Central Sector and Centrally Sponsored Scholarship Schemes

vi. Notification dated 3.3.2017 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, with respect to the Central Sector Scholarship Schemes for education of Students with Disabilities

vii. Notification dated 3.3.2017 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, with respect to the National Action Plan for Skill Training of Persons with Disabilities under the Central Sector Scheme for Implementation of Persons with Disability Act, 1995 (SIPDA),

viii. Notification dated 3.3.2017 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, with respect to the Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase and, or, Fitting of Aids and Appliances (ADIP),

ix. Notification dated 8.2.2017 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, with respect to the Targeted Public Distribution System (hereinafter referred to as TPDS) for implementation of relevant provisions of the National Food Security Act, 2013,

x. Notification dated 2.3.2017 issued by the Ministry of Human Resource Development with respect to the SarvaShikshaAbhiyan Scheme

xi. Notification dated 28.2.2017 issued by the Ministry of Health and Family Welfare with respect to the Remuneration for the work performed by the contractual labour every month in the National Health Mission Scheme,

xii. Notification dated 28.2.2017 issued by the Ministry of Health and Family Welfare with respect to the Performance based incentives are paid as benefits to Accredited Social Health Activists (ASHA) in the National Health Mission Scheme,

xiii. Notification dated 27.2.2017 issued by the Ministry of Labour and Employment with respect to the Stipend to be paid to SC/STs and Disabled persons eligible under National Career Services scheme

xiv. Notification dated 25.2.2017 issued by the Ministry of Women and Child Development with respect to the Support to Training and Employment Programme (STEP) Scheme,

xv. Notification dated 23.2.2017 issued by the Ministry of Women and Child Development with respect to the Ujjawala Scheme,

xvi. Notification dated 23.2.2017 issued by the Ministry of Women and Child Development with respect to the SwadharGreh Scheme,

xvii. Notification dated 21.2.2017 issued by the Ministry of Human Resource Development with respect to the Saakshar Bharat. Scheme,

xviii. Notification dated 15.2.2017 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training with respect to the Grih Kalyan Kendras Scheme,

Copy of Notification dated 6.3.2017 issued by the Ministry of Chemicals & Fertilisers, with respect to the Compensation claims by Bhopal Gas Victims is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-19 (PAGES 11 TO 14).**

Copy of Notification dated 6.3.2017 issued by Ministry of Labour & Employment, with respect to the Bonded Labour Rehabilitation

Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-20 (PAGES 15 TO 18).**

Copy of Notification dated 28.2.2017 issued by the Ministry of Human Resource Development, with respect to the Mid-Day Meal Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE–P-21 (PAGES 19 TO 25).**

Copy of Notification dated 16.2.2017 issued by the Ministry of Human Resource Development, with respect to the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-22 (PAGES 26 TO 30)**.

Copy of Notification dated 16.2.2017 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, with respect to the Central Sector and Centrally Sponsored Scholarship Schemes is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-23 (PAGES 31 TO 35).**

Copy of Notification dated 3.3.2017 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, with respect to the Central Sector Scholarship Schemes for education of Students with Disabilities is filed herewith and marked as **ANNEXURE –P-24 (PAGES 36 TO 39).**

Copy of Notification dated 3.3.2017 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, with respect to the National Action Plan for Skill Training of Persons with Disabilities under the Central Sector Scheme for Implementation of Persons with Disability Act, 1995 (SIPDA) is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-25 (PAGES 40 TO 43)**.

Copy of Notification dated 3.3.2017 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, with respect to the Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase and, or, Fitting of Aids and Appliances (ADIP) is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-26 (PAGES 44 TO 48)**.

Copy of Notification dated 8.2.2017 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, with respect to the Targeted Public Distribution System (hereinafter referred to as TPDS) for implementation of relevant provisions of the National Food Security Act, 2013 is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-27 (PAGES 49 TO 52)**.

Copy of Notification dated 2.3.2017 issued by the Ministry of Human Resource Development with respect to the Sarva Shiksha Abhiyan Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-28 (PAGES 53 TO 57)**.

Copy of Notification dated 28.2.2017 issued by the Ministry of Health and Family Welfare with respect to the Remuneration for the work performed by the contractual labour every month in the National Health Mission Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-29 (PAGES 61 TO 64)**,

Copy of Notification dated 28.2.2017 issued by the Ministry of Health and Family Welfare with respect to the Performance based incentives are paid as benefits to Accredited Social Health Activists (ASHA) in the National Health Mission Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-30 (PAGES 65 TO 68)**.

Copy of Notification dated 27.2.2017 issued by the Ministry of Labour and Employment with respect to the Stipend to be paid to SC/STs and Disabled persons eligible under National Career Services scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-31 (PAGES 69 TO 77).**

Copy of Notification dated 25.2.2017 issued by the Ministry of Women and Child Development with respect to the Support to Training and Employment Programme (STEP) Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-32 (PAGES 78 TO 81)**.

Copy of Notification dated 23.2.2017 issued by the Ministry of Women and Child Development with respect to the Ujjawala Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-33 (PAGES 82 TO 85)**.

Copy of Notification dated 23.2.2017 issued by the Ministry of Women and Child Development with respect to the Swadhar Greh Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-34(PAGES 86 TO 89)**,

Copy of Notification dated 21.2.2017 issued by the Ministry of Human Resource Development with respect to the Saakshar Bharat. Scheme is filed herewith and marked as **ANNEXURE – P-35 (PAGES 90 TO 98)**.

Copy of Notification dated 15.2.2017 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training with respect to the Grih Kalyan Kendras Scheme is filed

herewith and marked as **ANNEXURE – P-36 (PAGES 99 TO 101)**.

3. The above-mentioned documents are vital for adjudicating the present dispute raised in the Writ Petition and therefore, the same may be taken on record.

PRAYER

It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Court be graciously pleased to:-

i) ALLOW the present application for filing the additional documents and direct the same to be placed on record;

ii) PASS any such other or further order as may be deemed fit in the facts of the present case.

FILED BY:

VIPIN NAIR
ADVOCATE-ON-RECORD
FOR THE PETITIONERS

NEW DELHI
FILED ON: 05.05.2017

9

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

I.A. NO. OF 2017

IN

WRIT PETITION (C) NO. OF 2017

IN THE MATTER OF:

Shantha Sinha & Anr. ...Petitioners

Versus

Union of India & Ors. ...Respondents

AFFIDAVIT

I, Shantha Sinha, aged about 67 years, d/o M. Anandam, residing at 10-2-3 Entrenchment Road, West Marredpalli, Secunderabad-500026 do hereby solemnly affirm and state as under:

Name: R.R. BANSAL
Area: New Delhi
Regd. No. 10678/14
Expiry Date: 27/06/2019
GOVT. OF INDIA

6. I am the Petitioner No.1 herein, I am fully conversant with the facts and circumstances of the Present case and am as such competent to swear the present affidavit on behalf of the Petitioners.

10

2. I have read and understood the contents of the accompanying application from pages 1 to 3 through and annexures thereto namely — through and the facts set out therein are true to my knowledge, as well as derived from the records maintained by me and submissions made therein are on legal advice received from my Advocates and believed to be true and correct.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at New Delhi on this the 21st day of April, 2017 that the contents of paragraphs 1 to 2 of my above affidavit are true and correct to my knowledge, information and belief, that no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Name: R.K. BANSAL
Area: New Delhi
Regd. No. 10678/14
Expiry Date: 27/06/2019
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
Notary Public, Delhi
Govt. of India
Regd. No. 10678/14

-11-

ANNEXURE P-19

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 679] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 754(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और यह फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 और भोपाल गैस पीड़ितों के उचित विधिक प्रतिनिधित्व और उनके दावों के परिनिर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए उसके अधीन एक स्कीम का प्रशासन कर रहा है। इस अधिनियम के अधीन वर्ष 1985 में कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित का सृजन किया गया था और भारत सरकार द्वारा शीघ्र न्यायनिर्णयन और गैस विभीषिका के उत्तरजीवियों और पीड़ित परिवारों के लिए प्रतिकर का अधिनिर्णय या संवितरण करने हेतु वर्ष 1992 से भोपाल गैस पीड़ितों के दावों के न्यायनिर्णयन के लिए दावे अधिकरण द्वारा वास्तविक रूप से काम करना आरंभ किया। कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित द्वारा "भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि" नामक स्कीम के अधीन मृत्यु, स्थायी रूप से दिव्यांगता, अति गंभीर चोट, कैंसर, पूर्ण किडनी फेल होने और गैस पीड़ितों की अस्थायी दिव्यांगता प्रवर्गों को प्रतिकार का संदाय किया जाता है।

और, स्कीम के अधीन अलग-अलग प्राप्तिकर्ताओं को दी गई नकद प्रतिकर की पूर्वोक्त प्रसुविधा भारत सरकार की संचित निधि से एकमुश्त व्यय है और,

अत: अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए किसी पात्र व्यक्ति आधार संख्याक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किंतु स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक हैं 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परन्तु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वह आधार प्राप्त करने का/की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से, अपने कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, के माध्यम से ऐसे फायदग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन प्रसुविधाएं प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा होगी तथा यदि उनके अलग ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधन विभाग से उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परन्तु स्कीम के व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात् :

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करा लिया है तो उसकी अपना आधार नामांकन पहचान पर्ची, या;

(ii) नीचे के पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्याक कार्ड (पैन कार्ड); या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया चलन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसील द्वारा शासकीय पत्र पर जारी किया गया फोटो के पहचान प्रमाणपत्र; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को नकद मुआवजे का सुविधाजनक और बिना किसी बाधा के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से स्कीम को कार्यान्वित करने वाले विभाग के प्रभारी निम्नलिखित सहित अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेंगे; अर्थात् :-

(1) स्कीम अधीन आधार के अपेक्षा के प्रति नकद प्रतिकर के फायदाग्राहियों को जागरुक बनाने के लिए उन्हें, रासयन और पेट्रोरसायन विभाग कार्यालय के माध्यम से और उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से, मीडिया द्वारा और व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर के फायदाग्राही ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में आधार नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो उन्हें रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से अपने कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से यह अपेक्षित होगा है कि वह यूआईडीएआई या यूआईडएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वंय यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और स्कीम के अधीन फायदाग्राही रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के पास उसकी कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परत्युक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करा सकेंगे।

-13-

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फ. सं. बीएच 11011/1/2016-बीएच]

समीर कुमार बिश्वास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Pertrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 754(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers in the Government of India is administering the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 and a Scheme thereunder for ensuring proper legal representation of the Bhopal Gas victims and settlement of their claims. Under this Act, the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas victims was created in 1985 and the Claim Tribunals to adjudicate claims of the Bhopal Gas Victims actually started functioning from the year 1992 by the Government of India for speedy adjudication and award or disbursement of compensation to the survivors and families of the victims of the gas leak disaster. Under the scheme called "Ex-gratia to Bhopal Gas victims", the compensation is paid to Death, Permanent disability, Injury of utmost severity, Cancer, Total Renal Failure and Temporary disability categories of gas victims by the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims.

And whereas, the aforesaid benefit of cash compensation given to the individual recipients under the scheme is one-time expenditure from the Consolidated Fund of India and;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the benefit of cash compensation under the scheme is, hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit of cash compensation under the scheme, who does not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits of cash compensation under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the scheme through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal may provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual of the Scheme, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by any Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit of cash compensation under the Scheme to the beneficiaries, the Department in charge of implementing the Scheme shall make all the required arrangements including following, namely: -

(1) Wide publicity through media and individual notices through the office of the Department of Chemicals and Petrochemicals and through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal shall be given to beneficiaries of cash compensation under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of cash compensation under the scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the nearby vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or becoming UIDAI registrar themselves and the beneficiaries under the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 above with the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the states of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No. BH.11011/1/2016-BH]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.07 14:32:19 +05'30'

18

15

ANNEXURE P-20

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 676] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 751(अ).—जबकि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान हेतु एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी प्रदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को उनकी हकदारियां सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सीधे प्राप्त करने के समर्थ बनाता है तथा आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विविध दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

तथा कि, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय का राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के माध्यम से नकदी और गैर-नकदी संघटक देकर बंधित श्रमिकों के पुनर्वास हेतु बंधित श्रमिक पुनर्वास स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

तथा बंधित श्रमिक पुनर्वास स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह उसके पास आधार संख्यांक के होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी हकदार फायदाग्राहियों, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक हैं, अपेक्षित है कि वे 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें परंतु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्राप्त करने के हकदार हों तथा

ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यू आई डीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अदयतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्टीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनसीएलपी सोसायटी कहा गया है) के माध्यम से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करें और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना सोसायटी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्टारों के समन्यवय से या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में के संबंधित विभाग यूआईडीएआई का रजिसट्रार बनकर या एनसीएलपी सोसायटी को नामांकन अभिकरणर; के रूप में लगाकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए ।

परन्तु स्कीम के व्यक्तियों का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या

(ii) नीचे दिए गए पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रतिलिपि; तथा

(घ) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या (iii) पासपोर्ट या मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) सरकारी पत्र-शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र जारी फोटो सहित पहचान का प्रमाण-पत्र; या (vi) राशन-कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) राज्य सरकार या संघ राज्य –क्षेत्र के प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजनार्थ श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया तथा जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर तथा अन्य माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर जाकर 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राहियों लाभार्थी ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे आस-पास के क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में इस स्कीम के क्रियान्वयन को भारसाधक विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है तथा अपने जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसाइटी के पास या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से फायदाग्राहियों से, अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा पैरा (1) के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने हेतु अनुरोध किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू - कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जी-20021/01/2016-बीएल]

हीरा लाल सामरिया, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi; the 6th March, 2017

S.O. 751(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment, in the Government of India, is administering the Bonded Labour Rehabilitation Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) for rehabilitation of bonded labourer by giving Cash and Non-cash component through the National Child Labour Project Society in the State Government or Union Territory Administration;

And whereas, the Benefits under Bonded Labour Rehabilitation Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016(18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Labour and Employment hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the Scheme hereby, is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar Number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI's website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Labour and Employment through the National Child Labour Project Society (hereinafter referred to as NCLP Society) which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Labour and Employment through the National Child Labour Project Society may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations by becoming UIDAI Registrar or engaging NCLP Society as enrolment agency:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individuals of the Scheme, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Ration Card; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Labour and Employment for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme, the Ministry of Labour and Employment through National Child Labour Project Society shall make all the required arrangements including the following; namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the district National Child Labour Project Society and other means, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the block or Tehsil or Taluka, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Governments or Union Territory Administrations is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph (1) with their District National Child Labour Project Society or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. G-20021/01/2016-BL]

HEERA LAL SAMARIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.07 12:10:35

19

ANNEXURE P-21

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938
No. 600] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ.669(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों या विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) या सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सहायता-प्राप्त मदरसों या मकतबों (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कूल कहा गया है) में कक्षा I से कक्षा VIII में अध्ययनरत बालकों को कार्य दिवसों के दौरान और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान गर्म पका हुआ भोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) उपलब्ध कराके उनकी पोषणिक स्थिति में सुधार करने हेतु सामान्यतया मध्याह्न भोजन स्कीम के नाम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रशासन करता है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है;

और स्कूलों में प्रस्थापित पूर्वोक्त मध्याह्न भोजन स्कीम में भारत की संचित निधि से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम में कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:

1. (1) स्कूलों में स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्तियों से आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया से पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कूलों में स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार नामांकन अभिप्राप्त करने का/की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में से स्कीम के कार्यान्वयन का भार साधक संबंधित विभाग से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में से विभाग से यह अपेक्षा होगी कि वह यूआईडीएआई के विद्यमान या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन उपलब्ध कराएं:

परंतु ऐसे फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात;-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा इस प्रभाव का परिवचन कि बालक किसी अन्य स्कूल से प्रसुविधा का उपभओग नहीं कर रहा है; और

(ग) माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ बालक के संबंध के सबूत के रूप में कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) समुचित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या जन्म का अभिलेख; या

(ii) राशन कार्ड ; या ईसीएचएस कार्ड; या ईएसआईसी कार्ड; या सीजीएचएस कार्ड; या

(iii) फोटोग्राफ सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(iv) पासपोर्ट; या

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र पर ऐसे बालक की फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vi) स्कूल की आधिकारिक प्राधिकारिक मुद्रा के अधीन प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा जारी ऐसे छात्र की फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vii) कोई सरकारी कुटम्ब हकदारी कार्ड; या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए विभाग द्वारा मीडिया तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों, तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से ही नामांकित नहीं हैं तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीक आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे नजदीकी स्थानों में आधार के लिए नामांकन करने में समर्थ नहीं होते हैं तो विभाग से जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों या तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों उनके स्कूल के संबंधित पदधारियों के पास या उस प्रयोजन के लिए के वेबपोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[मि. सं. 9-6/2016-डेस्क(एमडीएम)]

रीना रे, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O.669(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India is administering National Programme of Mid Day Meal in Schools popularly known as Mid Day Meal Scheme *(hereinafter refered to as the Scheme)* to improve nutritional status of children studying in classes I to VIII in government or government aided schools or Special Training Centres (STC) or Madrasas or Maqtabs supported under Sarva Shiksha Abhiyan *(hereinafter referred to as Schools)* by providing them hot cooked meals *(hereinafter referred to as Benefit)* during working days and during summer vacation in drought affected areas which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas the aforesaid Mid Day Meal scheme offered at Schools involves expenditure incurred fully or partly from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Human Resource Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals desirous of availing the benefits under the Scheme offered at the Schools are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme offered at the Schools, who does not possess an Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned department incharge of implementation of the Scheme (hereinafter referred to as the Department) in the State Governments or Union territory Administrations is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to such beneficiary benefits under the Scheme shall be given to such beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she/he has enrolled, her/his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her/his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) an undertaking by the parent or legal guardian that the child is not availing the benefit from any other School; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the child with the parent or legal guardian, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate Government authority; or

(ii) Ration Card; or ECHS Card ; or ESIC Card; or CGHS Card; or

(iii) Bank or Post office passbook with photograph; or

(iv) Passport; or

(v) Certificate of identity having photo of such student issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(vi) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under offical seal of the school; or

(vii) any Government Family Entitlement Card; or any other document specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specially designated by the Department in the State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and seamless benefit under the Scheme to the beneficiaries, the Department in the State Government or Union territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices by the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of their respective School or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 9-6/2016-Desk(MDM)]

RINA RAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ.670(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों या विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) या सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सहायता-प्राप्त मदरसों या मकतबों (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कूल कहा गया है) में कक्षा I से कक्षा VIII में अध्ययनरत बालकों को कार्य दिवसों के दौरान और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान गर्म पका हुआ भोजन (जिसे इसमें इसके पंश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) उपलब्ध कराके उनकी पोषणिक स्थिति में सुधार करने हेतु सामान्यतया मध्याह्न भोजन स्कीम के नाम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रशासन करता है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है;

और स्कूलों में स्कीम के अधीन मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने के लिए लगाए गए रसोइया-सह-सहायक अवैतनिक कर्मकार हैं, जो सामाजिक सेवाओं देने के लिए आगे आते हैं और उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है);

और स्कूलों में स्कीम के अधीन रसोइया-सह-सहायकों को प्रस्थापित पूर्वोक्त प्रसुविधा में भारत की संचित निधि से पूरी तरह या आंशिक रूप से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

23

अत: अब केन्द्रीय सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम में कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:

1. (1) स्कूलों में स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं का उपयोग करने वाले रसोइया-सह-सहायकों से आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कूलों में स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं का उपयोग करने वाले ऐसे रसोइया-सह-सहायकों को जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का/की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई के वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में से स्कीम के कार्यान्वयन का भार साधक संबंधित विभाग से ऐसे रसोइया-सह-सहायकों के लिए, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं देने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में से विभाग से यह अपेक्षा होगी कि वह यूआईडीएआई के विद्यमान या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन उपलब्ध कराएं;

परंतु ऐसे रसोइया-सह-सहायकों का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात;-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या

(iii) राशन कार्ड ; या

(iv) मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vi) किसान फोटो पासबुक; या

(vii) स्कूल की प्राधिकारिक मुद्रा के अधीन स्कूल के प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा जारी रसोइया-सह-सहायक का फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(viii) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु आगे यह और कि दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के विभाग द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन रसोइया-सह-सहायकों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति रसोइया-सह-सहायकों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें विभाग द्वारा मीडिया तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों, तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूल आदि के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से ही नामांकित नहीं हैं तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीक आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन रसोइया-सह-सहायक, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे नजदीकी स्थानों में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में समर्थ नहीं होते हैं तो विभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों या तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी और रसोइया-सह-सहायकों से उनके स्कूल के संबंधित पदधारियों के पास या उस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[मि. सं. 9-6/2016-डेस्क(एमडीएम)]

रीना रे, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O.670(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India is administering National Programme of Mid Day Meal in Schools popularly known as Mid Day Meal Scheme *(hereinafter refered to as the Scheme)* to improve nutritional status of children studying in classes I to VIII in government or government aided schools or Special Training Centres (STC) or Madrasas or Maqtabs supported under Sarva Shiksha Abhiyan *(hereinafter referred to as Schools)* by providing them hot cooked meals during working days and during summer vacation in drought affected areas which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas, the Cook-cum-Helpers engaged under the Scheme for preparing and serving Mid Day Meals at Schools are honorary workers who have come forward for rendering social services and in recognition of their services, they are paid honorarium *(hereinafter referred to as the Benefit)*;

And whereas the aforesaid benefit paid to the Cook-cum-Helpers under the Scheme offered at Schools involves expenditure incurred fully or partly from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) *(herein after referred to the said Act)*, the Central Government in the Ministry of Human Resource Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) A Cook-cum-Helper availing the benefits under the Scheme offered at the Schools is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) A Cook-cum-Helper, availing the benefit under the Scheme offered at the Schools, who does not possess an Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned department incharge of implementation of the Scheme (hereinafter referred to as the Department) in the State Governments or Union territory Administrations is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the Cook-Cum-Helpers who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Cook-cum-Helpers, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she/he has enrolled, her/his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her/his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card, or

(iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(vi) Kisan Photo passbook; or

(vii) Certificate of identity having photo of such cook-cum-helper issued by a Headmaster or Principal of School under offical seal of the school; or

(viii) any other documents specified by the concerned State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specially designated by the Department in the State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and seamless benefits under the Scheme to the Cook-cum-Helpers the Department in the State Government or Union territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices by the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. shall be given to the Cook-cum-Helpers to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the Cook-cum-Helpers under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the Cook-cum-Helpers can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of their respective School or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 9-6/2016-Desk(MDM)]

RINA RAY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.03 13:46:26 +05'30'

86

ANNEXURE P- 22

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938

No. 431] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

का.आ. 474(अ).—जबकि, आधार का उपयोग करने से सेवाएं या लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इनमें पारदर्शिता एवं दक्षता आती है और लाभार्थियों को उनकी पात्रता, सहज और निर्बाध तरीके से सीधे मिलती है और आधार से व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करने के लिए एकाधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

और जबकि, राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (उक्त योजना), भारत की समेकित निधि से वहन किया जाने वाला व्यय है।

अतः, अब, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे बाद में अधिनियम कहा जाएगा) की धारा (7) के प्रावधानों के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों को एतद्वारा बच्चों द्वारा आधार धारित करने अथवा आधार प्रमाणन का प्रमाण देना अपेक्षित है और योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के संवितरण को बच्चे के आधार के धारण अथवा आधार प्रमाणन की प्रक्रियाधीन, जैसा मामला हो, से जोडा जाएगा और बच्चे सें आधार प्रपत्र संग्रह अथवा उन्हें प्रमाणित करने का दायित्व, बच्चे के अभिभावकों या अभिरक्षकों के समन्वय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य का होगा।

2. उक्त योजना के तहत लाभ लेने वाले ऐसे बच्चों को, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा और यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की पात्र है, विद्यालय का प्राचार्य यह सुनिश्चित करेगा और सुनिश्ति करने की व्यवस्था करेगा कि इन बच्चों को उनके आधार नामांकन के लिए निकटतम आधार नामांकन केन्द्र (सूची "www.uidai.gov.in" पर उपलब्ध हैं) पर ले जाया जाएं।

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य ने विद्यालय शिक्षा विभाग अथवा इस योजना का संबधित विभाग (यहां इसके बाद "विभाग" कहा गया है) को ऐसे बच्चों के लिए नामांकन सुविधाएं देना अपेक्षित है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि आस-पास कोई आधार नामांकन केन्द्र

अवस्थित नहीं है, विभाग, यूआईएडीआई के मौजूदा पंजीयकों के संबंध में किसी सुविधाजनक स्थान पर नामांकन सुविधाएं मुहैया कराएगा या यूआईएडीआई पंजीयक बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक बच्चे को आधार आवंटित किया जाए, बच्चे को, बच्चे अथवा अभिभावक अथवा अधीरक्षक, जैसा मामला हो द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की जाएगी।

(क) (i) यदि बच्चे ने नामांकन किया है, उसके आधार नामांकन पहचान स्लिप; अथवा

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके आवेदन की छायाप्रति, जैसा पैरा (2) के उप-पैराग्राफ (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है

(ख) (i) फोटोग्राफ सहित बैंक की पासबुक; अथवा (ii) स्कूल के प्राचार्य अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र; अथवा (iii) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

2 (1) लाभार्थियों को सहज और निर्बाध सब्सिडी या लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपने क्षेत्रीय एककों और विद्यालयों के जरिए निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, नामत:

(2) बच्चों और उनके अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों को उक्त योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया और विद्यालयों में व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों को परामर्श दिया जाए कि यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं कराया है, अपने बच्चों का अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में नामांकन कराने के लिए 30 जून, 2017 तक नामांकन कराएं।

(3) यदि लाभार्थी विद्यालय अथवा अपने निवास स्थल के आस-पास नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण वे नामांकित होने की वजह से नामांकन नहीं करा पाए हों, विभाग से अपेक्षा है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा सृजित करें और बच्चों और अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने वेब-पोर्टल पर अपने नाम और अन्य ब्यौरा जैसे स्कूल का रोल न: अथवा कक्षा विवरण, विद्यालय का नाम, पता, मोबाइल न: देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध पंजीकृत करें और ये अनुरोध पंजीकृत विद्यालयों के पास भी पंजीकृत किए जाएं।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू- कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 8-5/2016-एस एस (खंड-II) पार्ट]

डी. के. गोयल, उप-सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017.

S.O. 474(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (the said Scheme) is an expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section (7) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Children receiving benefit under the aforesaid Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication and the disbursement of scholarship amount under the aforesaid Scheme shall be linked to possession of Aadhaar by the children or had undergone Aadhaar authentication, as the case may be, and the responsibility to collect Aadhaar from children or to authenticate them, as the case may be, shall be on the Principal of the School concerned, in coordination with parents or guardians of the children.

2. Children receiving benefits under the aforesaid Scheme who are not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, and in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, the Principal of the School shall ensure and make arrangement to ensure that such children are taken to the nearest Aadhaar Enrolment Center (list available at "www.uidai.gov.in") for enrolling them for Aadhaar.

3. As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the School Education department or the department dealing with the aforesaid Scheme in the State (herein after called 'department') is required to offer enrolment facilities for the children who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar Enrolment Centers located in the vicinity, the department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIADI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the children, scholarship amount shall be sanctioned to the children, subject to the production of the following documents by the child or the parent or guardian, as the case may be, namely :-

(a) (i) if he has enrolled , his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Photo Identity Card issued by the Principal of the School or Tehsildar; or (iii) any other document specified by the State Education Department.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free subsidy or benefits to the beneficiaries, department through their field units and schools shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(2) Wide publicity through media and individual notices at schools shall be given to children and their parents or guardians to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the scholarship amount under the aforesaid Scheme and the parents or guardians may be advised to get their children enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.

.(3) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres within vicinity from the school or where they reside, the department is required to create enrolment facilities at convenient locations and the children and their parents or guardian may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, school roll number or class details, school name, address, mobile number on their web portal and such requests can also be registered with the registered schools.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 8-5/2016-SS (Vol.II) Pt.]

D. K. GOEL, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

का.आ. 475(अ).—जबकि, सेवाएं या लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी वितरण प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इनमें पारदर्शिता एवं दक्षता आती है और लाभार्थियों को उनकी पात्रता, सहज और निर्बाध तरीके से सीधे मिलती है और आधार से व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करने के लिए एकाधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

और जबकि, राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना (योजना), भारत की समेकित निधि से वहन किया जाने वाला व्यय है।

अतः, अब, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे बाद में अधिनियम कहा जाएगा) की धारा (7) के प्रावधानों के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों को एतद्वारा आधार बच्चों द्वारा आधार धारित करने अथवा आधार प्रमाणन का प्रमाण देना अपेक्षित है और योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के संवितरण को बच्चे के आधार के धारण अथवा आधार प्रमाणन की प्रक्रियाधीन, जैसा मामला हो, से जोडा जाएगा और बच्चे से आधार प्रपत्र संग्रह अथवा उन्हें प्रमाणित करने का दायित्व, बच्चे के अभिभावकों या अभिरक्षकों के समन्वय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य का होगा।

2. उक्त योजना के तहत लाभ लेने वाले ऐसे बच्चों को, जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधारनामांकन के लिए आवेदन करना होगा और यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की पात्र है, विद्यालय का प्राचार्य यह सुनिश्चित करेगा और सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा कि इन बच्चों को उनके आधार नामांकन के लिए निकटतम आधार नामांकन केन्द्र (सूची "www.uidai.gov.in" पर उपलब्ध हैं) पर ले जाया जाएं।

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य ने विद्यालय शिक्षा विभाग अथवा इस योजना का संबधित विभाग (यहां इसके बाद "विभाग" कहा गया है) को ऐसे बच्चों के लिए नामांकन सुविधाएं देना अपेक्षित है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि आस-पास कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, विभाग, यूआईएडीआई के मौजूदा पंजीयकों के संबंध में किसी सुविधाजनक स्थान पर नामांकन सुविधाएं मुहैया कराएगा। यूआईएडीआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक बच्चे को आधार आवंटित किया जाए, बच्चे को, बच्चे अथवा अभिभावक अथवा अधीरक्षक, जैसा मामला हो द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की जाएगी।

(क) (i) यदि बच्चे ने नामांकन किया है, उसके आधार नामांकन पहचान स्लिप; अथवा

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके आवेदन की छायाप्रति, जैसा पैरा (2) के उप-पैराग्राफ (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है

(ख) (i) फोटोग्राफ सहित बैंक की पासबुक; अथवा (ii) स्कूल के प्राचार्य अथवा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र; अथवा (iii) राज्य शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

2 (1) लाभार्थियों को सहज और निर्बाध सब्सिडी या लाभ प्रदान करने के लिए, विभाग अपने क्षेत्रीय एककों और विद्यालयों के जरिए निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, नामत:

(2) बच्चों और उनके अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों को उक्त योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया और विद्यालयों में व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों को परामर्श दिया जाए कि यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं कराया है, अपने बच्चों का अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में नामांकन कराने के लिए 30 जून, 2017 तक नामांकन कराएं।

(3) यदि लाभार्थी विद्यालय अथवा अपने निवास स्थल के आस-पास नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण वे नामांकित होने की वजह से नामांकन नहीं करा पाए हों, विभाग से अपेक्षा है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधा सृजित करें और बच्चों और अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने वेब-पोर्टल पर अपने नाम और अन्य ब्यौरा जैसे स्कूल का रोल न: अथवा कक्षा विवरण, विद्यालय का नाम, पता, मोबाइल न. देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध पंजीकृत करें और ये अनुरोध पंजीकृत विद्यालयों के पास भी पंजीकृत किए जाएं।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू- कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 8-5/2016-एस एस (खंड-II)-पार्ट]

डी. के. गोयल, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

S.O. 475(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (the Scheme) involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section (7) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Children receiving benefit under the aforesaid Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication and the disbursement of incentive amount under the Scheme shall be linked to possession of Aadhaar by the children or had undergone Aadhaar authentication, as the case may be, and the responsibility to collect Aadhaar from children or to authenticate them, as the case may be, shall be on the Principal of the School concerned, in coordination with parents or guardians of the children.

(2) Children receiving benefits under the aforesaid Scheme who are not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 and in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, the Principal of the School shall ensure and make arrangement to ensure that such children are taken to the nearest Aadhaar Enrolment Center (list available at "www.uidai.gov.in") for enrolling them for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the School Education department or the department dealing with the aforesaid Scheme in the State (herein after called 'department') is required to offer enrolment facilities for the children who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar Enrolment Centers located in the vicinity, the department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the children, incentive amount shall be sanctioned to the children, subject to the production of the following documents by the parent or guardian, as the case may be, namely:—

(a) (i) if the child has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Photo Identity Card issued by the Principal of the School or Tehsildar; or (iii) any other document specified by the State Education Department.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free subsidy or benefits to the beneficiaries, department through their field units and schools shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(2) Wide publicity through media and individual notices at schools shall be given to children and their parents or guardians to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the incentive amount under the aforesaid Scheme and the parents or guardians may be advised to get their children enrolled at the nearest enrolment centers available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.

(3) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres within vicinity from the school or where they reside, the department is required to create enrolment facilities at convenient locations and the children and their parents or guardian may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, school roll number or class details, school name, address, mobile number on their web portal and such requests may also be registered with the schools.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 8-5/2016-SS (Vol.II)-Pt.]

D. K. GOEL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.16 22:07:13 +05'30'

ANNEXURE P-23

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938
No. 428] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 471(अ).—सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है। आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है । आधार अधिनियम के उपबंध दिनांक 12 सितंबर, 2016 से प्रभावी हुए हैं तथा इस आशय की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात "मंत्रालय" कहा जाएगा), भारत सरकार नीचे सूचीबद्ध केंद्रीय सेक्टर की तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है:

(i) कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति;

(ii) सफाई तथा स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरे कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति;

(iii) अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;

(iv) अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों की योग्यता का उन्नयन;

(v) अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के उच्चतर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप;

(vi) अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना;

(vii) अनुसूचित जाति (एससी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना;

(viii) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना;

(ix) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;

(x) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप;

(xi) विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू जनजाति (डीएनटी) के छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;

(xii) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

3. अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, मंत्रालय एतदद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, नामतः-

(1) उपर्युक्त सूचीबद्ध केंद्रीय सेक्टर की अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति संबंधी हितलाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से एतदद्वारा यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं।

(2) उपर्युक्त सूचीबद्ध केंद्रीय सेक्टर की अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति संबंधी हितलाभों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनका अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं हुआ है, से एतदद्वारा यह अपेक्षित है कि वह 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, यदि वह आधार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित है कि वे अपने कार्यान्वयन विभागों तथा अपने मैट्रिक-पूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है और समीपवर्ती स्थान में किसी आधार नामांकन केंद्र के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कराए अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) का पंजीयक बनकर तथा नामांकन एजेंसियों के रूप में मैट्रिकपूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नियुक्त करके आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराए।

केंद्रीय सेक्टर की योजनाओं हेतु, मंत्रालय से यह अपेक्षित है कि वह अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करें जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा समीपवर्ती स्थान में किसी आधार नामांकन केंद्र के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से तथा नामांकन एजेंसियों के रूप में मैट्रिकपूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नियुक्त करते हुए नामांकन सुविधाएं प्रदान कराए।

बशर्ते कि उस समय तक जब व्यक्ति को आधार सौंपा जाता है, तब तक उपर्युक्त योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति का लाभ ऐसे लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा, नामतः-

(क) (i) आवेदक की उसके नाम पर, अथवा माता-पिता या अभिभावक के साथ संयुक्त नाम पर, बैंक पासबुक और जिसमें आवेदक की फोटो हो;

(ii) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(iii) पैरा 4 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति। और

(ख) निम्नानुसार पहचान प्रमाण –

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; अथवा

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा

(iii) पासपोर्ट; अथवा

(iv) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लैटर हैड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो की पहचान का प्रमाण-पत्र; या

(vi) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज,

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

4. उपर्युक्त सूचीबद्ध योजनाओं के तहत सुविधाजनक रूप से और बिना किसी कठिनाई के छात्रवृत्ति लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने कार्यान्वयन विभागों के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेंगे:-

1) उपर्युक्त सूचीबद्ध योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में मैट्रिक-पूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से आवेदकों अथवा लाभार्थियों को अवगत करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 31 मार्च, 2017 तक अपने क्षेत्रों के समीपवर्ती नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाए।

2) यदि, लाभार्थी मैट्रिकपूर्व या उच्चतर शिक्षा संस्थानों अथवा जहां वे निवास करते हैं, से पांच से सात किमी. के भीतर नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों या राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने कार्यान्वयन विभागों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा आवेदकों अथवा लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे, अपने संबंधित वेबपोर्टल पर अपने नाम के साथ, संस्थान, जहां वे पढ़ रहे द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, पता, मोबाइल नम्बर जैसा अन्य ब्यौरा देकर नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं तथा ऐसे अनुरोध मैट्रिकपूर्व अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पास भी पंजीकृत किए जाएं।

5. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14016/3/2017-डीबीटी]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 471(E).—The use of Aadhaar as identifier for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner. Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity. The provisions of the Aadhaar Act have come into effect from 12th September, 2016 and notification to this effect has been published in the official Gazette.

2. Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as Ministry), Government of India implements the Central Sector and Centrally Sponsored Scholarship Schemes listed below which involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India:

(i) Pre-matric Scholarship Scheme for Scheduled Caste (SC) Students Studying in Class IX and X;

(ii) Pre-Matric Scholarships to the Children of those engaged in occupations involving cleaning and prone to health hazards;

(iii) Post-Matric Scholarship for Scheduled Caste (SC) Students;

(iv) Up-gradation of Merit of Scheduled Caste (SC) Students;

(v) National Fellowship for Higher Education for Scheduled Caste (SC) Students;

(vi) Top Class Education Scheme for Scheduled Caste (SC) Students;

(vii) Free Coaching Scheme for Scheduled Caste (SC) and Other Backward Classes (OBC) Students;

(viii) Scheme of Pre-Matric Scholarship for Other Backward Classes (OBC) Students;

(ix) Scheme of Post-Matric Scholarship for Other Backward Classes (OBC) Students;

(x) National Fellowship for Other Backward Classes (OBC) Students;

(xi) Dr. Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scholarship for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNT) Students;

(xii) Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship Scheme for Economically Backward Classes (EBC) Students;

3. Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Ministry hereby notifies the following, namely:—

(1) An Individual desirous of receiving Scholarship benefit under the Central Sector or Centrally Sponsored Scholarship Schemes as listed above is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of receiving Scholarship benefit under the Central Sector or Centrally Sponsored Scholarship Schemes as listed above and not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make an application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of Aadhaar Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, for Centrally Sponsored Schemes the State Government or Union Territory Administration through its implementing Departments and its Pre-Matric or Higher education institutions is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment center in the vicinity, the State Government or Union Territory Administration may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming Unique Identification Authority of India (UIDAI) Registrar and engaging Pre-Matric or Higher education institutions as enrolment agencies.

For Central Sector Schemes, the Ministry through its implementing agencies is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment center in the vicinity, the Ministry through its implementing agencies may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) and engage Pre-Matric or Higher education institutions as enrolment agencies.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, Scholarship benefit under the Schemes listed above shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) Bank Passbook of applicant in his or her name or jointly held with his or her parent or guardian, and which contains the photograph of the applicant;

(ii) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 4, and

(b) Identity proofs as under—

(i) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union Territory Administration for that purpose.

4. In order to provide convenient and seamless Scholarship benefit under the Schemes listed above to beneficiaries, the Ministry through its implementing agencies or the State Government or Union Territory Administration through their implementing Departments shall make all the required arrangements including the following, namely:—

1) Wide publicity through media and individual notices through Pre-Matric or Higher education institutions shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive Scholarship benefit under the schemes listed above and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment center available in their areas by 3st March, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres within five to seven km from Pre-Matric or Higher education institutions or from where they reside, the Ministry through its implementing agencies or State Government and Union Territory Administration through their implementing Departments is required to create enrolment facilities at convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, identity card issued by the institute where he is studying, address, mobile number on their respective web portal and such requests may also be registered with the Pre-Matric or Higher education institutions.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No.: 14016/3/2017-DBT]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.02.16 22:19:06 +05'30'

ANNEXURE P-24

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 654] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 728(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और वह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसके पश्चात "विभाग" कहा गया है), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग छात्रों (जिसे इसके पश्चात "फायदाग्राही" कहा गया है) की शिक्षा के लिए निम्नलिखित केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसके पश्चात "स्कीम" कहा गया है) कार्यान्वित कर रहा है।

(क) दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि–मैट्रीक छात्रवृत्ति
(ख) दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रीक छात्रवृत्ति
(ग) दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति
(घ) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
(ङ) दिव्यांग छात्रों के लिए समुद्रपार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
(च) दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग

और, इस स्कीम के अधीन दिव्यांगजनों को नकद फायदे अर्थात छात्रवृत्ति रकम, पुस्तक और तदर्थ अनुदान, दिव्यांगता विशिष्ट भत्ते जैसे पाठक भत्ता, परिवहन भत्ता, मार्गरक्षी भत्ता, रखरखाव भत्ता, विशेष भत्ता, अध्येतावृत्ति रकम, आकस्मिक अनुदान, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ता, उपकरण भत्ता, ट्यूशन शुल्क, हवाई यात्रा भत्ता, पोल टेक्स, विजा शुल्क, मेडिकल बीमा प्रीमियम, स्थानीय यात्रा, वृत्तिका (उक्त छात्रवृत्ति स्कीमों के सन्नियमों के अनुसार यथा लागू)(जिसे इसके पश्चात "प्रसुविधाएं" कहा गया है) और सेवाएं अर्थात निःशुल्क कोचिंग (जिसे इसके पश्चात "सेवाएं" कहा गया है), में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :–

2 (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, इस स्कीम को लागू करने वाले विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जो अभी तक आधार संख्याओं में नामांकन नहीं हुए हैं और यदि उनके आस–पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो इस स्कीम को लागू करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र; और

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) मतदाता पहचान–पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन)कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन–कार्ड; या,

(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या

(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(vii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किया गया फोटो पहचान–पत्र; या

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए फोटो पहचान–पत्र; या

(ix) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या

(x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान–पत्र या

(xi) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक

उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 17–22(2)/2016–छात्रवृत्ति]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 728(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, bring in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing the following Central Sector Scholarship Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) for education of Students with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries):-

(a) Pre-Matric Scholarship for Students with Disabilities;

(b) Post-Matric Scholarship for Students with Disabilities

(c) Scholarship for Top Class Education for Students with Disabilities;

(d) National Fellowship for Persons with Disabilities;

(e) National Overseas Scholarship for Students with Disabilities; and

(f) Free Coaching for Students with Disabilities;

And whereas, under the Schemes, cash benefits namely scholarship amount, Book and Ad-Hoc Grant, Disability-specific allowances like Reader allowance, Transport allowance, Escort allowance, Maintenance allowance, Special allowance, Fellowship amount, Contingency grant, House Rent allowance, Incidental Journey allowance, Equipment allowance, Tution Fees, Cost of Air Passage, Poll Tax, Visa Fees, Medical Insurance Premium, Local Travel, Stipend (whichever is applicable as per norms of the said scholarship Schemes) (hereinafter referred to as benefits) and services namely, free coaching (hereinafter referred to as services) by the empanelled institutes {hereinafter referred to as the implementing agencies) involve recurring expenditures from Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1 (1) An individual eligible to receive benefits or services under the Schemes is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual entitled to receive the benefits or services under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits or services under the Schemes are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June,

2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities through its implementing agencies for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits or services under the Schemes shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) Disability certificate issued by the competent authority; and

(c) Any one of the following documents:-

(i) Voter identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or (vii) Photo identity card issued by competent authority for handicapped persons; or (viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or (ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other documents as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits or services under the Schemes to the beneficiaries, the Department through its implementing agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 17-22(2)/2016-Sch.]

DOLLY CHAKARABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.03 22:16:03 +05'30'

40

ANNEXURE P-25

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 653] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 727(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और वह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसके पश्चात् "विभाग" कहा गया है), दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु पेनलित प्रशिक्षण भागीदारों (जिसे इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसियां कहा जाएगा) के माध्यम से दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्रही कहा जाएगा) को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम (सिपडा) (जिसे इसके पश्चात् योजना कहा गया है) के अधीन दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है।

और, इस स्कीम के अधीन दिव्यांगजनों को नकद फायदे अर्थात् परिवहन लागत, आवास और भोजन लागत, सुविधा लागत, नियोजन के पश्चात् सहायता लागत आदि (स्कीम के सन्नियमों के अनुसार यथा लागू)(जिसे इसके पश्चात् प्रसुविधाएं कहा गया है) और सेवाएं अर्थात् कौशल प्रशिक्षण (जिसे इसके पश्चात् "सेवाएं" कहा गया है), में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि

आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, इस स्कीम को लागू करने वाले विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जो अभी तक आधार संख्याओं में नामांकन नहीं हुए हैं और यदि उनके आस–पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो इस स्कीम को लागू करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र; और

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) मतदाता पहचान–पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन) कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन–कार्ड; या,

(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या

(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(vii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किया गया फोटो पहचान–पत्र; या

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फोटो पहचान–पत्र; या

(ix) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या

(x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान–पत्र या

(xi) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के

अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं 17–22(1)/2016–छात्रवृत्ति]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 727(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, bring in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (hereinafter referred to as Department), Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing the National Action Plan for Skill Training of Persons with Disabilities under the Central Sector Scheme for Implementation of Persons with Disability Act, 1995 (SIPDA) (hereinafter referred to as the Scheme) for providing skill training to persons with disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries) through Empanelled Training Partners (hereinafter referred to as implementing agencies);

And whereas, under the said Scheme, cash benefits namely, transport cost, boarding and lodging cost, conveyance cost, cost for post placement support etc. (whichever is applicable as per norms of the Scheme) (hereinafter referred to as benefits) and services, namely, skill training (hereinafter referred to as services) provided to the persons with disabilities by the implementing agencies involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible to receive the benefits or services under the said Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual entitled to receive the benefits or services under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits or services under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities through its implementing agencies for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits or services under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) Disability certificate issued by the competent authority; and

(c) Any one of the following documents:-

(i) Voter identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or (vii) Photo identity card issued by competent authority for handicapped persons; or (viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or (ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other documents as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle benefits or services under the Scheme to the beneficiaries, the Department shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the concerned agencies or through the web portal.provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 17-22(1)/2016-Sch.]

DOLLY CHAKARABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.03 22:32:35 +05'30'

ANNEXURE P-26

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 639] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का. आ. 711(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, (जिसे इसके पश्चात विभाग कहा गया है) दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और, या फिटिंग के लिए सहायता स्कीम (एडिप) (जिसे इसके पश्चात योजना कहा जाएगा) का एक केन्द्रीय स्कीम के रूप में प्रशासन कर रहा है।

और, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, आवश्यकताग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित आधुनिक, मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों के उपापन में सहायता प्रदान करना, दिव्यांगजनों को पुनर्वास हेतु शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, बढ़ावा देकर दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के लिए और साथ ही साथ उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है;

और, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, उनके द्वारा स्वतंत्र रुप से कार्य करने की क्षमता में सुधार और दिव्यांगता के विस्तार और अनुषंगी दिव्यांगता घटित होने को सीमित करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं;

और, यह स्कीम, राष्ट्रीय संस्थानों, संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों, राज्य विकलांग विकास निगमों, अन्य स्थानीय निकायों, गैर–सरकारी संगठनों (जिन्हें इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेसियां कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं और स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं, जिसके अंतर्गत सहायक यंत्र और सहायक साधनों (उपकरणों) का उपापन और वितरण भी है और दिव्यांगजनों एवं उनके सहायकों और मार्गरक्षियों को भारत की संचित निधि के गैर–आवर्ती व्यय में शामिल नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते, आवास और भोजन व्यय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रसुविधाएं कहा गया है) उपलब्ध कराना भी सम्मलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात :–

1. (1) इस स्कीम के अंतर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

2. इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे।

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, इस स्कीम को लागू करने वाले विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंग और जो अभी तक आधार संख्याओं में नामांकन नहीं हुए हैं और यदि उनके आस–पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो इस स्कीम को लागू करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) मतदाता पहचान–पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) सम्पत्ति कार्ड; या

(v) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र; या,

(vi) राशन–कार्ड; या,

(vii) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या

(viii) शस्त्र अनुज्ञप्ति; या

(ix) पेंशनर कार्ड; या

(x) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(xi) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जारी किया गया फोटो पहचान–पत्र; या

(xii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी फोटो पहचान–पत्र; या

(xiii) रोजगार गारंटी योजना (ईजीएस) प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया रोजगार कार्ड; या

(xiv) श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार बीमा स्कीम (ईआईएस) के लिए जारी फोटो पहचान–पत्र; या

(xv) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या

(xvi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी, ऐसे सदस्य के फोटो सहित, पहचान–पत्र या

(xvii) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया

जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 4–2(32)/2016/डीडी–I]

अवनीश कुमार. अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 711(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India (hereinafter referred as the Department) is administering the Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase and, or, Fitting of Aids and Appliances (ADIP) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme;

And whereas, the main objective of the Scheme is to assist the needy disabled persons in procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances to promote physical, social, psychological rehabilitation of Persons with Disabilities by reducing the effects of disabilities and at the same time to enhance their economic potential;

And whereas, the assistive devices are given to Divyangjan with an aim to improve their independent functioning and to limit the extent of disability and occurrence of secondary disability;

And whereas, the Scheme .is implemented through National Institutes, Composite Regional Centres, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), District Disability Rehabilitation Centres, State Handicapped Development Corporations, other local bodies and Non-Governmental Organizations (hereinafter referred to as the implementing agencies) and the benefits under the Scheme include procurement and distribution of aids, assistive devices (appliances) and providing travelling allowances, boarding and lodging expenses to the Persons with Disabilities and attendants or escorts as per norms (hereinafter referred to as benefits), that involve non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1.(1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, in case he or she is entitled to

obtain Aadhaar as per section 3 of Aadhaar Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the Department through its implementing agencies which requires an Individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaarenrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Property Card; or

(v) Freedom Fighter Identity Card; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Employee Government ID Card; or

(viii) Arms license; or

(ix) Pensioner's Card; or

(x) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(xi) Photo identity card issued by competent authority for scheduled castes or tribes and other backward castes; or

(xii) Photo identity card issued by competent authority for handicapped persons; or

(xiii) Employment Card issued by Employment Guarantee Scheme (EGS) authorities; or

(xiv) Photo identity card issued by Ministry of Labour for Employment Insurance Scheme (EIS); or

(xv) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(xvi) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(xvii) Any other document specified by the Central or State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Department in charge of implementing the Scheme shall make all required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices through the implementing agencies to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre

available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department is required to create Aadhaar enrollment facilities at convenient locations, in coordination with existing Registrars of UIDAI or by Department itself by becoming UIDAI Registrar themselves and beneficiaries under the Scheme may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Department or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 4-2 (32)/2016/DD-I]

AWANISH K. AWASTHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.03 20:06:40 +05'30'

491

ANNEXURE P-27

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2017/माघ 19, 1938
No. 336] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2017/MAGHA 19, 1938

उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

का.आ.371(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीपीडीएस कहा गया है) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनएफएसए कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को लागू करने तथा उक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन जारी खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015 के नकद अंतरण करने से अंतर्वलित व्यय भारत की संचित निधि से प्रोद्भूत होंगे;

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

(1) एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण को प्राप्त करने के पात्र और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी वैध राशन कार्ड रखने वाली सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे। कोई नए पात्र हितग्राही जो एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य के नकद अंतरण राजसहायता को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चुना गया है से भी यह अपेक्षित है कि वह अनुवर्ती खंड में यथा वर्णित आधार सख्यांक को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करें।

(2) एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण को प्राप्त करने के हकदार सभी ऐसे पात्र हितग्राही जिनके पास आधार संख्यांक नही है या आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं है, लेकिन राजसहायता प्राप्त अनाज या एनएफएसए के अधीन राजसहायता के नकद अंतरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं से अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन कर दे, परंतु उक्त अधिनियम धारा 5 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और ऐसे व्यक्ति किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची पर उपलब्ध है) पर जाकर आधार के लिए नामांकन करा सकते है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन खाद्य विभाग जिसे किसी व्यक्ति को आधार देने की अपेक्षा है, प्रसुविधा देने वाले के लिए नामांकन सुविधाओं के प्रस्ताव का आधार देने की अपेक्षा, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और आधार नामांकन केन्द्र क्रमश: ब्लॉक, ताल्लुक, तहसील में अवस्थित नहीं है की दशा में, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन खाद्य विभाग द्वारा यूआईडीएआई या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों या उनके द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनने के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाना अपेक्षित है।

परंतु यह कि एनएफएसए के अधीन जब तक किसी व्यक्ति को आधार समुनेदित किया जाता है तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अध्यधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण की सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी; अर्थात:--

(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड

(ख) (i) जबकि वह नामांकित है, उनके आधार नामांकन पहचान स्लिप या

(ii) पैरा 2 में उपपेरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (iv) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को एनएफएसए के अधीन सुविधाजनक और निर्बाध राजसहायता प्राप्त अनाज देना या खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण उपलब्ध कराने के लिए या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थात्:--

(1) जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या सस्ते गल्ले की दुकान आदि के माध्यम से फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के लिए जागरुकता पैदा करने के लिए, मीडिया से विस्तृत प्रचार और जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या सस्ते गल्ले की दुकान आदि के माध्यम से व्यक्तियों को सूचना देनी होगी और उन्हें यह सलाह भी देनी होगी कि यदि वे पूर्व में नामांकित नहीं है तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन कराएं। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करानी होगी।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण, फायदाग्राहियों के सहायकी खाद्य अनाज या एनएफएसए अधीन खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, खाद्य विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर यूआईडीएआई या विद्यमान यूआईडीएआई के रजिस्ट्रारों के सहयोग में या उनके द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनने पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरें, उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से या अपनी सभी गल्ले की दुकानों से अपने पते, मोबाइल संख्या के साथ अपने नामों को देकर सहायकी खाद्य अनाज या एनएफएसए अधीन खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी।

4. राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन पात्र परिवार के व्यष्टिक हितग्राही द्वारा दिए आधार संख्यांक को रखने के सबूत की रसीद से तीस दिन में ऐसे परिवार को जारी राशन कार्ड या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण के लिए बैंक के खाते से आधार संख्यांक लिंक करेगी।

5. ऊपर पैरा में किसी बात के होते हुए भी परिवार में ऐसे सभी सदस्यों को आधार संख्यांक अनुदेशित न होने की दशा में पात्र राशनकार्ड में सूचीबद्ध पात्र परिवार हकदार राजसहायता प्राप्त अनाज की समस्त मात्रा या एनएफएसए को समीप खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण को प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि परिवार का कोई संदाय राशन कार्ड के मध्यम की ऊपर खंडो में निर्दिष्ट दशओं में पूरा करता है।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food And Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2017

S.O. 371(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, implementation of relevant provisions of the National Food Security Act, 2013 (hereinafter referred to as NFSA), through Targeted Public Distribution System (hereinafter referred to as TPDS) and Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 issued under the said National Food Security Act, 2013, involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of the Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA and having valid Ration Cards issued by State Governments or Union Territory Administrations is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication. Any new eligible beneficiary who is selected by State Governments or Union Territory Administrations for receiving subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA is also required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication as stated in ensuing clauses.

 (2) All such eligible beneficiaries entitled to receive subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, who do not possess the Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act. All such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

 (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the State or Union Territory Administration Food Department which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the State or Union Territory Food Department is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves :

 Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, subsidy or benefits under NFSA shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely :-

 (a) Ration Card issued by the State or Union Territory Administration Food Department; and

 (b) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

 (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2; and

 (c) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration :

 Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State/UT Food Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA to beneficiaries, the State or Union Territory Administration Food Department shall make all the required arrangements including following, namely :-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the district food supply office or fair price shops, etc., shall be given to beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the

near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the State or Union Territory Food Department are required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves and the beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number with Ration Card number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their fair price shop owners or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

4. The State Government or Union Territory Administration shall, within a period of thirty days from the receipt of proof of possession of Aadhaar number furnished by individual beneficiaries of the eligible household, link the Aadhaar number with the Ration Card issued to such household or with Bank Account for Cash Transfer of Food Subsidy.

5. Notwithstanding anything in above paragraphs, any member of eligible household listed in the Ration Card shall be entitled to receive the entire quantity of entitled subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, if any one member of the household in the Ration Card fulfils the identification conditions mentioned in above clauses, in case Aadhaar number is not yet assigned to all such members of the household.

[F.No. 9(2)/2016-PD II]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.13 15:40:16 +05'30'

53

ANNEXURE P-28

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2017/फाल्गुन 11, 1938
No. 618] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2017/PHALGUNA 11, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 688(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भागीदारी से सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम सर्व शिक्षा अभियान का प्रशासन कर रहा है जिससे सार्वत्रिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग की और सामाजिक प्रवर्ग अंतरालों को पाटने तथा बालकों के शिक्षा के स्तरों में वृद्धि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके;

और, सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के मध्यक्षेपों का उपबंध है, जिसके अंतर्गत नए स्कूलों का खोला जाना, स्कूलों और अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के संनिर्माण, शौचालयों और पेयजल, शिक्षकों, आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहायता, पाठ्यपुस्तकों, वर्दी और अधिगम उपलब्धि हेतु सहायता भी है;

और सर्व शिक्षा अभियान स्कीम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन यथा अधिदिष्ट मानकों और स्तरमानों तथा नि:शुल्क पात्रताओं के अनुसार विरचित की गई है जिसमें ऐसे विधिक ढांचे के बारे में उपस्थित है जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हकदार बनाती है और जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए एक साधन के रूप में अभिहित है;

और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 7 में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा;

और, सर्व शिक्षा अभियान के अधीन राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के, स्कीम के अधीन अनुमोदित क्रियाकलापों को करने के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को सुमेल राज्य शेयर के साथ केन्द्रीय शेयर का अंतरण करने के लिए केन्द्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य लागू निधि विभाजन पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय शेयर निर्मोचित किया जाता है;

और, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु छात्रों को शिक्षा देने और अन्य सहायता के लिए शिक्षक या कर्मचारीवृंद (जिसे इसमें इसके पश्चात् कृत्यकारी कहा गया है) का नियोजन किया जाता है और कृत्यकारियों को वेतन या मानदेय का संदाय किया जाता है तथा उन्हें प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधाएं कहा जाएगा) प्रदान की जाती है, इसका कुछ भाग भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय होता है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक कृत्यकारियों से उसके पास आधार नम्बर होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक किसी ऐसे कृत्यकारी को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे फायदाग्राही आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन का राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का ऐसा भार साधक संबंधित विभाग से (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) जो कृत्यकारी से आधार संख्यांक देने की अपेक्षा करता है, ऐसे कृत्यकारियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रख्यापित करने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वयन से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परंतु कृत्यकारियों के आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात् —

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; तथा

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञापित; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र पर ऐसे सदस्य की फोटो सहित पहचान का प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उस प्रयोजन के लिए अनिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् —

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति कृत्यकारियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से तथा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय, तहसील या ब्लॉक अथवा मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूल आदि के माध्यम से वैयक्तिक सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि

उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीक आधार नामांकन केन्द्रों में स्वयं को नामांकित कराने के लिए सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन कृत्यकारी उनके आस-पास में ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील जैसे नजदीकी स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो विभाग से जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों या तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से उनके स्कूल के संबंधित पदधारियों के पास अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए या उक्त प्रयोजन के लिए उपबंधित वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 3-24/2016-ईई-14]

रीना रे, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2017

S.O. 688(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India is administering Sarva Shiksha Abhiyan, a Centrally Sponsored Scheme, for universalising elementary education across the country in partnership with the State Governments and Union territory Administrations so as to achieve the goals such as universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in education and enhancement of learning levels of children;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan provides for a variety of interventions, include opening of new schools, construction of schools and additional classrooms, toilets and drinking water, provisioning for teachers, periodic teacher training and academic resource support, textbooks, uniforms and support for learning achievement;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan Scheme framed in accordance with the norms and standards and free entitlements as mandated under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which provides a legal framework that entitles all children in the age group of 6 to 14 years free and compulsory elementary education till its completion and has been designated as the vehicle for implementation of the RTE Act, 2009;

And whereas, section 7 of the RTE Act, 2009 provides that the Central Government and the State Governments shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out the provisions of this Act;

And whereas, under Sarva Shiksha Abhiyan, central share is released to States and Union territories for transferring the same together with the matching state share as per the applicable fund sharing pattern between Centre and State or Union territories, to the State Implementation Societies, for undertaking the approved activities under the Scheme;

And whereas, teachers or staff (hereinafter called functionaries) are employed to impart education to children and other support for implementation of Sarva Shiksha Abhiyan and the functionaries are paid salary or honorarium and provided training and training material (hereinafter called benefits), part of which is a recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targetted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) A functionary desirous of availing the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) A functionary desirous of availing the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan, who does not possess the Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such functionary may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme (hereinafter referred to as Department) in the State Government or Union Territory administration which requires a functionary to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the functionaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in the State Government or Union Territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the functionaries, benefits under the Scheme shall be given to such Individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) any other documents specified by the concerned State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in the State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the functionaries, the Department in the State Government or Union territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices by the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. shall be given to the functionaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the functionaries under the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools, etc. is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the functionaries can be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of their respective School or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except in the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 3-24/2016-EE.14]

RINA RAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 689(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएचआरडी कहा गया है) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भागीदारी से पूरे देश के सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम सर्व शिक्षा अभियान का प्रशासन कर रहा है जिससे सार्वत्रिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग और सामाजिक प्रवर्ग अंतरालों को पाटने तथा बालकों के शिक्षा के स्तरों में वृद्धि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके;

और, सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के मध्यक्षेपों का उपबंध है, जिसके अंतर्गत नए स्कूलों का खोला जाना, स्कूलों और अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के संनिर्माण, शौचालयों और पेयजल, शिक्षकों, आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहायता, पाठ्यपुस्तकों, वर्दी और अधिगम उपलब्धि हेतु सहायता भी है;

और सर्व शिक्षा अभियान स्कीम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अधीन यथा आदेशित मानकों और स्तरमानों तथा नि:शुल्क पात्रताओं के अनुसार विरचित की गई है जिसमें ऐसे विधिक ढांचे का उपबंध है जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हकदार बनाता है;

और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 7 में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का इस अधिनियम उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा और सर्व शिक्षा अभियान को नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए एक साधन के रूप में अभिहित किया गया है जिनके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, स्कीम के अधीन अनुमोदित क्रिया कलापों को करने के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों (एसआईएस) को सुमेल राज्य शेयर के साथ केन्द्रीय शेयर का अंतरण करने के लिए केन्द्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य लागू निधि विभाजन पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय शेयर निर्मोचित किया जाता है;

और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केंद्र सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(i) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाएं और हकदारियां प्राप्त करने के पात्र 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों से उनके पास आधार होने का सबूत प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाएं और हकदारियां प्राप्त करने के पात्र 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों से जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं करवाया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है परंतु वे आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार संख्या प्राप्त करने के हकदार हों। ऐसे बालक आधार हेतु नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(iii) यदि स्कूल के नजदीकी क्षेत्र में नामांकन की सुविधा नहीं है या बालक किसी अन्य कारण से आधार हेतु नामांकन कराने में समर्थ नहीं होता तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे बालक को एक विशिष्ट संख्या आबंटित करेगा जिसका उसकी पृथक पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा तथा ऐसे बालक को भी इस योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(iv) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन हेतु यूआईडीएआई रजिस्ट्राजर होंगे या बनने की प्रक्रिया में होंगे और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर विशेष आधार नामांकन कैम्पों का आयोजन कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रख्यापित प्रसुविधाओं और सेवाओं में से किसी प्रसुविधा या सेवा का उपभोग करने के इच्छुक ऐसे बालकों, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन कैम्पों में या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के पास, आस-पास के क्षेत्र में किसी भी आधार नामांकन केंद्र में भी जा सकते हैं। आधार अधिनियम की धारा 5 में यथा विहित आधार नामांकन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(v) उंगलियों या हाथ में चोट, विकृति, विच्छेदन या किसी अन्य सुसंगत कारण से यदि कोई दिव्यांग बालक उंगलियों के प्रिंट देने में असमर्थ है तो उसका केवल इरिस स्केन किया जाएगा। तथापि ऐसे दिव्यांग बच्चों, जो आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 द्वारा परिकल्पित कोई बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करने में असमर्थ हैं, आधार नामांकन हेतु आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 6(2) के निबंधानुसार यूआईडीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(vi) यदि आधार के लिए उपयोग किए जाने वाला अधिप्रमाणन या आधार के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो भी बालक सर्व शिक्षा अभियान के अधीन तब तक प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जब तक वे समय या आयु वर्जित नहीं हो जाते, यदि वे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) इस अधिसूचना के पैरा 6 में यथानिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु किए गए अनुरोध की एक प्रति;

(iii) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी विशिष्ट संख्या; और

(ख) माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा इस आशय का एक परिचय-पत्र कि बालक उनके साथ रह रहा है और वह किसी अन्य स्कीम या स्कूल से बालक के लिए इस प्रकार की सेवाओं या प्रसुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहा है :

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के भार साधक विभाग द्वारा अनिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य के पात्र बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सुविधजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आधार के लिए नामांकन की आवश्यकता तथा आधार नामांकन हेतु प्रदान की गई सुविधाओं के ब्यौरों के बारे में राज्य परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों, जिला शिक्षा कार्यालयों, ब्लॉक संसाधन केंद्रों, कलस्टर संसाधन केंद्रों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. यदि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन पात्र बालक ब्लाक या तहसील या तालुका में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन करवाने में असमर्थ हैं तो राज्य परियोजना अधिकारियों से सुविधाजनक स्थान पर नामांकन की सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा की जाती है और बालकों से अपने माता-पिता या संरक्षकों के माध्यम से स्कूल में नाम, पता, मोबाइल नम्बर जैसे अन्य विवरण सहित अपना नाम देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध को रजिस्ट्रिकृत करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

4. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 3-24/2016-ईई-14]

रीना रे, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2017

S.O. 689(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identifier for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India (hereinafter referred to as MHRD) is administering Sarva Shiksha Abhiyan, a Centrally Sponsored Scheme, for universalising elementary education, across the country in partnership with the State Governments and Union territory Administrations, so as to achieve the goals such as universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in education and enhancement of learning levels of children;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan provides for a variety of interventions, including opening of new schools, construction of schools and additional classrooms, toilets and drinking water, provisioning for teachers, periodic teacher training and academic resource support, textbooks, uniforms and support for learning achievement;

And whereas, Sarva Shiksha Abhiyan Scheme framed in accordance with the norms and standards and free entitlements as mandated under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which provides a legal framework that entitles all children in the age group of 6 to 14 years free and compulsory elementary education till its completion;

And whereas, section 7 of the RTE Act, 2009 provides that the Central Government and the State Governments shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out the provisions of the RTE Act and the Sarva Shiksha Abhiyan has been designated as the vehicle for implementation of RTE Act, 2009 for which central share is released to States and Union territories for transferring the same together with the matching state share as per the applicable fund sharing pattern between Centre and State or Union territory to the State Implementation Societies (SISs), for undertaking the approved activities under the Scheme;

And whereas, implementation of Sarva Shiksha Abhiyan involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targetted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

(i) Children between the age of 6 to 14 years, eligible to receive benefits and entitlements under the Sarva Shiksha Abhiyan, would be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(ii) Children between the age of 6 to 14 years, eligible to receive benefits and entitlements under the Sarva Shiksha Abhiyan, who do not possess an Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, are requested to apply for Aadhaar enrolment as by 30th June, 2017, provided they are entitled to obtain Aadhaar number as per section 3 of the Aadhaar Act. Such children may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(iii) In case there is no enrolment facility in the neighbourhood areas to a school or a child is not able to enrol for Aadhaar for any other reason, the School Education Department of the State or Union Territory shall allocate a unique number to such child which will be used to separately identify him or her and benefits under this scheme shall be given to such child also.

(iv) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union Territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI. Children desirous for availing any of the benefits and services offered under Sarva Shiksha Abhiyan, who do not possess Aadhaar number or have not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI. The Aadhaar enrolment process as prescribed in section 5 of the Aadhaar Act shall be followed.

60

(v) In case of children with special needs who are unable to provide fingerprints, owing to reasons such as injury, deformities, amputation of the fingers or hands or any other relevant reason, only Iris scans will be collected. However, for such children with special needs who are unable to provide any biometric information contemplated by the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the procedure specified by the UIDAI in terms of regulation 6(2) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, shall be followed to carry out enrolment for Aadhaar.

(vi) In case authentication using Aadhaar or submission of proof of possession of Aadhaar is not possible, eligible children shall continue to avail the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan till they become time or age barred, if the following documents are produced, namely:—

(a) (i) If they have enrolled for Aadhaar then Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 6 of this notification;

(iii) Unique number issued by School Education Department; and

(b) An undertaking by the parent or legal guardian that the child is residing with him or her and that he or she is not availing same services or benefits for the child from any other Scheme or School:

Provided that the above documents shall be checked by an officer designated by the department in-charge of implementation of Sarva Shiksha Abhiyan in the State Government or Union territory Administration.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under Sarva Shiksha Abhiyan to eligible children between 6 to 14 years, the State Governments, and Union territory Administrations shall make wide publicity through the offices of the State Project Officers, District Education Offices, Block Resources Centres, Cluster Resource Centres, etc. about the need for enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment.

3. In case, eligible children under Sarva Shiksha Abhiyan are not able to enrol due to non-availability of enrolment centre in the Block or Tehsil or Taluka, the State Projects Officers are required to create enrolment facilities at convenient location and children through their parents or guardians may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as same, address, mobile number with the school.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 3-24/2016-EE.14]

RINA RAY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.02 23:21:36 +05'30'

61

ANNEXURE P-29

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 626] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ. 697(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे ही उनकी हकदारियों को प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने में विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ढांचे में यथा उपबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा पहलों का समर्थन कर रहा है तथा स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्कीम के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संविदात्मक आधार पर मानव संसाधन के विभिन्न प्रवर्गों, जिसके अंतर्गत चिकित्सा, परा-चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारीवृंद भी हैं, को लगाया गया है।

और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्कीम के अधीन लगाए गए संविदात्मक कर्मचारीवृंद को प्रत्येक मास उनके कार्य-निष्पादन के लिए प्रसुविधा के रूप में पारिश्रमिक का संदाय किया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्विलित है।

अत: अब केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम् कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है अर्थात्:—

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों से उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए हकदार किसी ऐसे पात्र फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, किंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी परंतु, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, वह ऐसे फायदाग्राही के लिए, जिसके पास अभी तक आधार संख्यांक नहीं है आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के, इस स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

परंतु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवा लिया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा एक शासकीय पत्र पर जारी किया गया फोटो पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) बैंक फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:—

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से और स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और 31 मार्च 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण, आधार नामांकन कराने में असमर्थ है तो, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की आशा की जाती है और फायदाग्राहियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संबन्धित पदधारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जेड-14018/1/2017-एमसीएच(जेएसवाई)]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O. 697(E).– Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health & Family Welfare in the Government of India is supporting multiple programmes and initiatives under National Health Mission (hereinafter referred to as Scheme) to achieve goals as provided in the National Framework for Implementation of the Scheme, and that for the effective implementation of the Scheme, various categories of human resources, which include medical, paramedical and non-medical staff, have been engaged on contractual basis in the States and Union territory Administrations under the Scheme;

And whereas, the contractual staff (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) engaged under the Scheme by the Department of Health and Family Welfare in the States and Union territory Administration are paid remuneration for the work performed by them every month as benefit, which involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals eligible to receive the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible beneficiary entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for such beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Development Authority of India or by itself becoming Unique Identification Development Authority of India Registrar.

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following documents, namely:

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 2d; and

(b) any of the following documents:-

(i) Voter ID Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving License issued by Licencing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Bank Photo Passbook; or

(ix) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the Scheme through Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs), district hospitals and other concerned authorities shall be given to the beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other necessary details with the concerned officials of the Department of Health and Family Welfare or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-14018/1/2017-MCH (JSY)]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.03 21:51:53 +05'30'

65

ANNEXURE P-30

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 627] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ. 698(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे ही उनकी हकदारियों को प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने में विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ढांचे में यथा उपबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा पहलों का समर्थन कर रहा है तथा समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उस स्कीम में स्वैच्छिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अर्थात् प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को शामिल किया गया है।

और प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रसुविधाओं के रूप में निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का संदाय किया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्विलित है।

अत: अब केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों से उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए हकदार किसी ऐसे पात्र फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, किंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी परंतु, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, वह ऐसे फायदाग्राही के लिए, जिसके पास अभी तक आधार संख्यांक नहीं है आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के, इस स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

परंतु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवा लिया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा एक शासकीय पत्र पर जारी किया गया फोटो पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) बैंक फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से और स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और 31 मार्च 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण, आधार नामांकन कराने में असमर्थ है तो, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की आशा की जाती है और फायदाग्राहियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संबन्धित पदधारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जेड-14018/1/2017-एमसीएच(जेएसवाई)]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

67

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O. 698(E).– Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India is supporting multiple programmes and initiatives under National Health Mission (hereinafter referred to as Scheme) to achieve goals as provided in the National Framework for Implementation of the Scheme, and that the Scheme has introduced voluntary community health workers that is Accredited Social Health Activists (ASHA) to form a critical link b21etween the community and the public health system;

And whereas, performance based incentives are paid as benefits to Accredited Social Health Activists (ASHA) (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) for the work performed by them and which involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Individuals eligible to receive the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible beneficiary entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017, provided she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for such beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Development Authority of India or by itself becoming Unique Identification Development Authority of India Registrar.

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) If enrolled, the Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 2 d; and

(b) any of the following documents

(i) Voter ID Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving Licence issued by Licencing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Bank Photo Passbook; or

(ix) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the Scheme through Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs), district hospitals and other concerned authorities shall be given to the beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other necessary details with the concerned officials of the Department of Health and Family Welfare or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-14018/1/2017-MCH (JSY)]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.03 21:55:55 +05'30'

69

ANNEXURE P-31

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938
No. 572] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

श्रम और नियोजन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 638(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और "राष्ट्रीय कैरियर सेवाओं" की स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) में भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों के लिए, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, तारीख 27 फरवरी, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगें।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार

नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा :

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के,अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगा हो; या

(vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या

(vii) किसान फोटो पासबुक ; या

(viii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(1) क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से स्कीम के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 27 फरवरी, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) स्कीम फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लाक या तहसील या ताल्लुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, श्रम और नियोजन मंत्रालय से उसके क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा स्कीम के फायदाग्राही, अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरों के साथ श्रम और नियोजन मंत्रालय के क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के पास अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. डीजीई-एम-25015/1/2017/डीबीटी-आधार अधिसूचना]

प्रवीण श्रीवास्तव, उप-महानिदेशक (नियोजन)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 638(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Scheme of "National Career Services" (hereafter referred to as the Scheme) involves expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit under the Scheme, who do not possess Aadhaar Number or are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing benefit under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 27th February, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Labour and Employment through Regional Employment Officer or authorised Officer which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Labour and Employment through Regional Employment Officer or authorised Officer is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming UIDAI registrar themselves :

Provided that, till the Aadhaar is assigned to such beneficiary of the Scheme, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by Ministry of Labour and Employment through Regional Employment Officer or authorised Officer for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the Scheme to beneficiaries, the Ministry of Labour and Employment through Regional Employment Officer or authorised Officer shall make all the required arrangements including following, namely :-

(1) Wide publicity through media and individual notices through Regional Employment Officer or authorised Officer shall be given to beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 27th February, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of the Scheme are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Ministry of Labour and Employment through the Regional Employment Officer or authorised Officer is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India registrar themselves and the beneficiaries of the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the

proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the Regional Employment Officer or the authorised Officer of the Ministry of Labour and Employment.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. DGE-M-25015/1/2017/DBT-Aadhaar Notification]

PRAVIN SRIVASTAVA, Dy. Director General (Employment)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 639(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यान्वित की जाने वाली "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नौकरी की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कल्याण स्कीम के अधीन प्रशिक्षुओं को वृत्तिका (तत्कालीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन)" की स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों के लिए, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, तारीख 27 फरवरी, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगें।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार श्रम और नियोजन मंत्रालय के उप-क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसआरईओ कहा गया है), जो किसी व्यष्टि से आधार संख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां श्रम और नियोजन मंत्रालय के एसआरईओ से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा :

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगा हो; या

(vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या

(vii) किसान फोटो पासबुक ; या

(viii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, श्रम और नियोजन मंत्रालय के एसआरईओ द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने एसआरईओ के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(1) एसआरईओ के माध्यम से स्कीम के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 27 फरवरी, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) स्कीम फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लाक या तहसील या ताल्लुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, श्रम और नियोजन मंत्रालय से उसके एसआरईओ के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा स्कीम के फायदाग्राही, अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर श्रम और नियोजन मंत्रालय के एसआरईओ के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. डीजीई-एम-25015/1/2017/डीबीटी-आधार अधिसूचना]

प्रवीण श्रीवास्तव, उप-महानिदेशक (नियोजन)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 639(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Scheme of "Stipend to Trainees under the Scheme of Welfare for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Job-seekers through Coaching, Guidance and Vocational Training implemented by the National Career Services Centres for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Erstwhile Coaching cum Guidance Centre for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes)" (hereinafter referred to as the Scheme) involves expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit under the Scheme, who do not possess Aadhaar Number or are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing benefit under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 27th February, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Labour and Employment through Sub-Regional Employment Officer(hereinafter referred as the SREO) which requires an

individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Labour and Employment through SREO is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India registrar themselves :

Provided that, till the Aadhaar is assigned to such beneficiary of the Scheme, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by the Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by the SREO designated by Ministry of Labour and Employment for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the Scheme to beneficiaries, the Ministry of Labour and Employment through the SREO shall make all the required arrangements including following, namely :-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the SREO shall be given to beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres,available in their areas by 27th February, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of Scheme are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Ministry of Labour and Employment through the SREO is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves and the beneficiaries of the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the SREOs of Ministry of Labour and Employment or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and the Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. DGE-M-25015/1/2017/DBT-Aadhaar Notification]

PRAVIN SRIVASTAVA, Dy. Director General (Employment)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 640(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है ;

और, भिन्न रूप से योग्यजन के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा स्कीम (विकलांगों के लिए तत्कालीन व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र) के अधीन, नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अधीन परिभाषित नि:शक्त व्यक्तियों के लिए वृत्तिका स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में भारत की समेकित निधि से व्यय सम्मिलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1. (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं हैं या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं 27 फरवरी, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम, 12 के अनुसार उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय, जिसे किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय से भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं रजिस्ट्रार, भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है।

परंतु यह कि स्कीम के ऐसे फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या पत्र; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी शासकीय पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी किया गया नाम व फोटो वाला पता पत्र; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पदाभिहित उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेंगे जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात् :-

(1) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, तथा उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से वैयक्तिक सूचनाएं स्कीम के फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को 27 फरवरी, 2017 तक नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि स्कीम के फायदाग्राही, नजदीकी स्थान जैसे ब्लाक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों की अनुपलभ्यता के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय से भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा स्वंय भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बनाकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है तथा स्कीम के फायदाग्राही श्रम और रोजगार मंत्रालय के उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के पास पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर अथवा इस प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए वेबपोर्टल के माध्यम से नामांकन हेतु अपने अनुरोध का रजिस्ट्रीकरण करें।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. डीजीई-एम-25015/1/2017/डीबीटी-आधार अधिसूचना]

प्रवीण श्रीवास्तव, उप-महानिदेशक (नियोजन)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 640(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Scheme of "Stipend to Persons with Disabilities defined under the Right of Person With Disabilities (RPwD) Act, 2016 under the Scheme of National Career Services Centres for Differently Abled (Erstwhile Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped)" (herein after referred to as the Scheme) involves expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit under the Scheme, who do not possess Aadhaar Number or are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing benefit under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 27th February, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Labour and Employment through Deputy Director or Assistant Director (Employment) which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Labour and Employment through Deputy Director or Assistant Director (Employment) is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves :

Provided that, till the Aadhaar is assigned to such beneficiary of the Scheme, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by the Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by the Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) designated by Ministry of Labour and Employment for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the Scheme to the beneficiaries, the Ministry of Labour and Employment through the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) shall make all the required arrangements including following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) shall be given to beneficiaries of Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 27th February, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of the Scheme are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Ministry of Labour and Employment through the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves and the beneficiaries of the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details

specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) of Ministry of Labour and Employment or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. DGE-M-25015/1/2017/DBT-Aadhaar Notification]

PRAVIN SRIVASTAVA, Dy. Director General (Employment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.27 21:47:45 +05'30'

78

ANNEXURE P- 32

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938

No. 559] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2017

का.आ. 625(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) महिलाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता स्कीम (स्टेप) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है।

स्कीम के अधीन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) अर्थात् किसी प्रवृत्त विधि के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी (लाभ के लिए नहीं) या स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठनों के रूप में स्थापित संस्थाओं या संगठनों और सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से ऐसे कौशल उपलब्ध कराने के लिए, जो महिलाओं को नियोजनीयता देते हैं या उन्हें स्व-नियोजित अथवा उद्यमी बनने में समर्थ बनाते हैं, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) उपलब्ध कराया जाता है।

और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रस्थापित पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् —

1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपना आधार संख्यांक होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(ii) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने वाले किसी ऐसे फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक अपना आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किंतु वह स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं के उपभोग का इच्छुक है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा है परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए; जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध प्रस्थापित करने की होगी और यदि आस-पास जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो मंत्रालय से, उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या मंत्रालय स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परन्तु फायदाग्राहियों को आधार संख्यांक नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी अर्थात् –

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करवा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा-(ख) में यथानिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति ; और

(ख) (i) बैंक फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशनकार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या (ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के अधीन मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले कार्यान्वयन अभिकरण मंत्रालय की ओर से ऐसी सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थात्—

(क) फायदाग्राहियों को, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार के आवश्यकता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही आस-पास जैसे ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे निकटतम क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा पैरा-1 के उप-पैरा (iii) के पहले परन्तुक में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा देते हुए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित संबंधित पदाधिकारी के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैबपोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. एसटी-50/58/2016-सीटीईपी]

के. मोसेस चलाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2017

S.O. 625(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India (hereinafter referred to as the Ministry) is administering the Support to Training and Employment Programme (STEP) Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) for women (hereinafter referred to as the beneficiary) as a Central Sector Scheme;

And whereas, under the Scheme, financial assistance and training (hereinafter referred to as benefits) is provided for providing skills that give employability to women or enable them to become self-employed or entrepreneurs, through the Project Implementing Agencies (PIAs) (hereinafter referred to as the Implementing Agencies), namely, Institutions or organisations set up as Autonomous Organisations under any law in force or as a Society (not for profit) or voluntary organisations or non-governmental organisations registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Indian Trusts Act, 1882; and Co-operative societies;

And whereas, the aforesaid Scheme offered through the Implementing Agencies involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (i) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(ii) A beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the Benefits under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 , provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) MGNREGS Card; or (ix) any other documents as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Implementing Agencies receiving grants from the Ministry under the Scheme shall make all required arrangements on behalf of the Ministry including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (iii) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Ministry or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. ST-50/58/2016-STEP]

K. MOSES CHALAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.25 14:41:29 +05'30'

82

ANNEXURE P-33

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938
No. 560] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 626(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, यह कि भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मानव दुर्व्यापार निवारण, वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव दुर्व्यापार के पीडितों को बचाने, उनका पुनर्वास करने और पुन:एकीकरण के लिए उज्ज्वला स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है और यह स्कीम गैर-सरकारी संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय रूप से प्रायोजित परिपूर्ण स्कीम "महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण" की उप-स्कीम है; और इस स्कीम के अंतर्गत हिताधिकारियों में व्यष्टिक महिलाएं और गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारीवृंद (जिन्हें इसमें इसके पश्चात हिताधिकारी कहा गया है) सम्मिलित हैं।

और, चूंकि उज्ज्वला स्कीम के अधीन स्कीम के प्रशासन और प्रबंधन के लिए क्रियान्वयन अभिकरणों के कर्मचारीवृंद को वेतन का संदाय करने और क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा उज्ज्वला स्कीम के अधीन चलाए जा रहे गृहों में व्यष्टिक महिला हिताधिकारियों को सुविधाएं जैसे भोजन, कपडे, स्वच्छता संबंधी वस्तुएं, चिकित्सा देख-रेख, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को अनुदान सहायता जारी की जाती है और इसमें भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्वलित होता है।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के अधीन व्यष्टिक हिताधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्या-धारक होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को, जो आधार संख्या-धारक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31.03.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का अवलोकन कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के महिला और बाल विकास विभाग आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं और वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा उज्ज्वला गृहों का कोई ऐसा हिताधिकारी या कर्मचारिवृंद जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों का या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र में भी दौरा कर सकेंगे।

परन्तु व्यष्टियों को आधार समुनुदेशित किए जाने के समय तक स्कीम के अधीन फायदे निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, प्रदान किए जाएंगे अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़:

(i) बैंक फोटो पासबुक ; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड ; या (iii) राशन कार्ड ; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट ; या (vi) चालक अनुज्ञप्ति ; या (vii) पैन कार्ड ; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या (ix) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान कार्ड; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान कार्ड; या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित ; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ; और

2. उज्ज्वला स्कीम के फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में महिला और बाल विकास विभाग, जो स्कीम में कार्यान्वयन का प्रभारसाधक है, सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा, अर्थात् ;

(1) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों में आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कीम के अधीन उन्हें स्थानीय मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर 30 मार्च, 2017 तक आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के महिला और बाल विकास विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और फायदाग्राहियों से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे कार्यान्वयन अभिकरणों को देकर या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध करें।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. 16/12/2016-सीपी]

नंदिता मिश्रा, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

S.O. 626(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering **Ujjawala Scheme** (hereinafter referred to as the Scheme) for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation, and reintegration of victims of trafficking for commercial sexual exploitation and the Scheme is a Sub Scheme of the Centrally sponsored Umbrella Scheme **"Protection and Empowerment of Women"** implemented by the State Governments and Union territory Administrations through Non-Government Organizations (hereinafter referred to as **implementing agencies);** and the beneficiaries under the Scheme include the individual women and staff of the Non-Government Organizations (hereinafter referred to as the **beneficiaries**);

And, whereas, under the Ujjawala Scheme, grant-in-aid is released to the State Governments and Union territory Administrations for payment towards salary of the staff of the implementing agencies for administration and management of the Scheme; and for providing facilities to individual woman beneficiaries such as food, clothes, sanitary items, medical care, education, vocational training etc., (hereinafter referred to **as benefit)** in the homes run under the Ujjawala Scheme by the implementing agencies and that involves recurring expenditure from the Consolidated fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act,,2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) The individual beneficiary under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by **31st March 2017** provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at Unique Identification Authority of India website (www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development in the State Government and Union territory Administration has become or is in the process of becoming UIDAI Registrar for Aadhaar enrolment and is organizing special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrollment facilities in consultation with Unique Identification Authority of India and any beneficiary or staff of the Ujjawala homes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centers in the vicinity with existing Registrars of Unique Identification Authority of India.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) any of the following documents, namely:—

(i). Bank photo passbook; or (ii). Voter ID Card; or (iii). Ration Card; or (iv). Kisan Photo Passbook; or (v). Passport; or (vi). Driving License; or (vii). PAN Card; or (viii). MGNREGS job Card; or (ix). Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking (PSU); or (x). Any other Photo identity Card issued by the State Government or Union territory Administration; or (xi). Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer on official letter head; or (xii). any other document specified by the State Government or Union territory Administration:

2. In order to provide convenient and hassle-free services to the beneficiaries of the Ujjawala Scheme, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through local media and individual notices shall be given to the beneficiaries under the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves

enrolled for Aadhaar by **31st March 2017** at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in clause (b) to the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 16/12/2016-CP]

Ms. NANDITA MISHRA, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.25 14:37:26 +05'30'

86

ANNEXURE P-34

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938
No. 558] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 624(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, 'स्वाधार गृह स्कीम' (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, जिसका लक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए सांस्थानिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकें और यह स्कीम 'महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण' नामक केंद्रीय प्रायोजित 'अंब्रेला स्कीम' की उप स्कीम है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किया जाता है; और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों में स्वाधार गृहों के कर्मचारीवृंद और वैयक्तिक रूप से महिला फायदाग्राही (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) भी सम्मिलित हैं;

और इस स्कीम के अधीन स्वाधार गृहों के संचालन हेतु प्रशासन और प्रबंध के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारीवृंद के वेतन के संदाय के लिए; आहार, परिधान, औषधियों, जेब खर्च, मनोविनोद क्रियाकलापों आदि जैसी सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करने के लिए; व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए फीस की प्रतिपूर्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है); के लिए भी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान सहायता का निर्मोचन किया जाता है; जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित किया जाता है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के फायदाग्राही व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह संख्याक होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30.09.2017 तक आधार नामांकन् हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने वाले हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा स्वाधार गृह का ऐसा कोई फायदाग्राही जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों का या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्रों पर भी जा सकेंगे।

परंतु ऐसे व्यक्तियों का आधार संख्यांक नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़:

(i) बैंक फोटो पासबुक ; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड ; या (iii) राशन कार्ड ; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट ; या (vi) चालन अनुज्ञप्ति ; या (vii) पैन कार्ड ; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या (ix) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान कार्ड ; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान कार्ड ; या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित ; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ;

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए भारसाधक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का महिला और बाल विकास विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा, अर्थात् :

(1) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों में आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कीम के अधीन उन्हें स्थानीय मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें, उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर 30 सितम्बर, 2017 तक आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के महिला तथा बाल विकास विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और फायदाग्राहियों से उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे कार्यान्वयन अभिकरणों को देकर या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध करें।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी।

[सं. एस डब्ल्यू-57/55/2016-स्वाधार]

नंदिता मिश्रा, आर्थिक सलाहकार

88

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

S.O. 624(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering the **Swadhar Greh Scheme** (hereinafter referred to as the Scheme), which targets the women victims of unfortunate circumstances who are in need of institutional support for rehabilitation so that they could lead their life with dignity and the Scheme is a Sub-Scheme of Centrally Sponsored Umbrella Scheme called "Protection and Empowerment of Women", which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through Non-Government Organizations and Voluntary Organizations (hereinafter referred to as the **implementing agencies**) ; and the beneficiaries under the Scheme include staff of the Swadhar Grehs and the individual women beneficiaries (hereinafter referred to as **beneficiaries**);

And, whereas, under the Scheme grant-in-aid is released to the State Governments and Union territory Administrations for payment towards salary of the staff of the implementing agencies for administration and management to run the Swadhar Grehs; and providing facilities to the individual beneficiaries such as food, clothing, medicines, pocket money, recreational activities, etc. and also reimbursement of fees for conducting vocational training (hereinafter referred to as **benefit**); which involves recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) The individual beneficiary of the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30.09.2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at UIDAI website (www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Government or Union territory Administration has become or is in the process of becoming UIDAI Registrar for Aadhaar enrolment and is organizing special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any beneficiary of Swadhar Greh, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with the existing registrars of UIDAI :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) any of the following documents, namely:—

(i) Bank photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kissan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS job card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by Government or any Public Sector Undertaking (PSU); or (x) Any other Photo identity Card issued by State Government or Union territory Administration.; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer on an official letter head; or (xii) any other document specified by the State Government or Union territory Administration;.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media and individual notices shall be given to the beneficiaries under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves

enrolled for Aadhaar by 30.09.2017 at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in clause (b) to the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. SW-57/55/2016-Swadhar]

NANDITA MISHRA, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.02.25 14:32:08 +05'30'

90

ANNEXURE P-35

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 640] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

(प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

का.आ. 712(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों की प्रदानगी के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग से सरकारी प्रदानगी सेवाएं सरलीकृत होती हैं, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सीधे तौर पर एक सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है; और एक व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास की केन्द्र प्रायोजित योजना, जिसे सामान्यत: साक्षर भारत के रूप में जाना जाता है (जिसे इसमें आगे 'योजना' कहा गया है), को कार्यान्वित कर रही है जिसमें व्यय को आंशिक रूप से भारत की समेकित निधि और आंशिक रूप से संबंधित राज्य सरकार से वहन किया जाता है। इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के अतिरिक्त सभी राज्यों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 60:40 के अनुपात में निधियां शेयर की जाती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए भारत सरकार और उक्त राज्यों का निधियन पैटर्न 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा योजना को 100% वित्तपोषित किया जाता है और स्कीम को जिला और उप-जिला स्तरीय एजेंसियों और समितियों की सहायता से संबंधित राज्यों के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और, स्कीम 15 वर्ष व अधिक के आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को बुनियादी साक्षरता और गणना के अवसर, नव साक्षरों और स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को कक्षा-III,V और VIII के लिए समतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी शिक्षा अवसर और सतत् शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से जीवन पर्यंत शिक्षा अवसर उपलब्ध कराती है (जिसे इसमें आगे 'व्यक्तिगत लाभार्थी' कहा गया है);

और, स्वयंसेवी अध्यापकों द्वारा बुनियादी साक्षरता और गणना कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है और साक्षरता कौशल प्रदान करने के लिए साक्षरता प्रवेशिका के रूप में शिक्षण अधिगम सामग्री को संबंधित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से विकसित और मुद्रित किया जाता है। बहुधा प्रौढ़ साक्षरता प्रवेशिका खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होती है और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों द्वारा लाभार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। योजना में स्वंयसेवी अध्यापकों के लिए किसी मौद्रिक प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं किया गया है;

और जबकि, स्कीम के समतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों को विशेष रूप से प्रौढ़ शिक्षुओं के लिए तैयार किया जाता है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान या राज्य मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों द्वारा व्यक्तिगत फायदाग्राहियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। सामान्यत: ये शिक्षण अधिगम सामग्री खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षण कार्यकलाप प्रदान करने में शामिल अध्यापकों या अनुदेशकों के लिए मानेदय का प्रावधान है;

और, स्कीम के अंतर्गत जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर योजना के पात्र जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। ये केन्द्र मूलतः पुस्तकालय सेवाओं के जरिए सतत शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का प्रबंधन दो प्रेरकों (ग्राम स्तरीय समन्वयकों) द्वारा किया जाता है, जिन्हें स्कीम के मानदंडों के अनुसार मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है;

और, यह स्कीम राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को मानदेय आधार पर शिक्षकों या अनुदेशकों की सेवाएं और मासिक मानदेय के साथ अनुबंध आधार पर प्रेरकों तथा राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरीय समन्यवयकों की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान करती है (जिसे आगे 'प्राप्तकर्ता लाभार्थी' लाभ कहा गया है);

और, स्कीम के अंतर्गत मानदेय, शिक्षण एवं अधिगम सामग्रियों के रूप में उपरोक्त लाभों में भारत की समेकित निधि से आवर्ती व्यय शामिल हैं;

अत: अब आधार (वित्तीय एवं अन्य आर्थिक सहायता, लाभ एवं सेवाओं की लक्षित अदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) के धारा 7 के उपबंधों की अनुपालना में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामत:

1. स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तिगत फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों के लिए अपने पास आधार नम्बर होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना या आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से निकलना आवश्यक होगा।

2. स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्तिगत फायदाग्राही या प्राप्तकर्ता फायदाग्राही जिसके पास आधार नम्बर नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को 31.03.2018 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम के खण्ड 3 के उपबंधों के अनुरूप आधार नामांकन के लिए पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

3. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अनुरूप संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी संबंधित विभाग या संबंधित स्थानीय निकाय के लिए आवश्यक होगा कि वे व्यक्तिगत फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों जिनके पास आधार नहीं है, को आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र न होने के मामले में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी संबंधित विभाग या संबंधित स्थानीय निकाय यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रार के समन्वयन से सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगे या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रूप में स्वयं आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगे;

बशर्ते जब तक वैयक्तिक फायदाग्राही या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों को आधार प्राप्त नहीं हो जाता योजना के लाभ इन व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्वीकृत किए जाएंगे:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 4 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; तथा

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र में व्यक्ति की फोटो सहित पहचान का प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि इस परियोजनार्थ राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी संबंधित विभाग या संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

4. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के प्रभारी संबंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्था करेंगे, अर्थात्:—

(क) फायदाग्राहियों को स्कीम के अंतर्गत आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया और राज्य शिक्षा मिशन प्राधिकरणों तथा उनकी जिला व उप-जिला स्तरीय एजेंसियों या समितियों आदि के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से ही नामांकित नहीं हैं तो उन्हें 31.03.2018 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में स्वयं को नामांकित करने की सलाह दी जाती है।

(ख) यदि स्कीम के उक्त फायदाग्राही अपने नजदीकी क्षेत्र जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील पर नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन करने में समर्थ नहीं होते हैं तो स्कीम को कार्यान्वित कराने वाले संबंधित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और उनकी जिला तथा उप-जिला स्तरीय एजेंसी या समिति आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं तैयार करने की आवश्यकता है और इस उद्देश्यार्थ प्रदत्त वेबपोर्टल के माध्यम से या संबंधित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और उनकी जिला तथा उप-जिला स्तरीय एजेंसियों या समितियों के साथ फायदाग्राहियों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए भी अनुरोध किया जा सकता है।

5. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 8-53/2016-एई-2]

अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

(AE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2017

S.O. 712(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development in the Government of India is implementing the Centrally Sponsored Scheme of Adult Education and Skill Development commonly known as **Saakshar Bharat** (hereinafter referred to as **'the Scheme'**) which involves expenditure incurred partly from the Consolidated Fund of India and partly from the fund of the concerned State Government. Presently the sharing of funds between the Government of India and the State Governments is in the ratio of 60 : 40 for all States except North-eastern Region States and three Himalayan States (Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand). The funding pattern for North-eastern Region States and Himalayan States is in the ratio of 90:10 between the Government of India and the said States. For Union Territories, the Scheme is funded hundred per cent by the Central Government and the Scheme is implemented through State Literacy Mission Authorities of the concerned States with the help of their District and Sub-district level agencies and committees;

And whereas, the Scheme provides opportunities of Basic Literacy and numeracy for adult non-literates in the age group of 15 years and above and Basic education opportunities through Equivalency Programme for class-III, V and VIII to neo-literates and school dropouts and lifelong education opportunities through Continuing Education Programme (hereinafter referred to as **'Individual beneficiaries'**);

And whereas, the Basic literacy and numeracy programme is being imparted through Volunteer teachers and the Teaching Learning Materials in the form of Literacy Primers to be used for imparting literacy skills are specifically developed and printed by the concerned State Literacy Mission Authorities. The Adult Literacy Primers are usually not available in the open market and are provided free of cost to the beneficiaries by the State Literacy Mission Authorities. No monetary incentive is provisioned under the scheme for Voluntary teachers;

And whereas, the Teaching Learning Materials for Basic Education through Equivalency Programme of the Scheme are specifically developed for adult learners and printed by National Institute of Open Schooling or State Open Schools and are provided free of cost to the individual beneficiaries by the State literacy Mission Authorities. These Teaching Learning Materials are generally not available in the open market. There is a provision for honorarium to the teachers or instructors involved in imparting teaching activities for Basic Education Programme;

And whereas, the lifelong education opportunities under the Scheme are being provided through Adult Education Centres set up at Gram Panchayat levels in the eligible districts of the Scheme. These Centres are basically responsible for providing continuing education facilities through library services. These Adult Education Centres are being managed by two Preraks (Village Level Coordinators), who are paid monthly honorarium as per the norms of the Scheme;

And whereas, the Scheme allows State Literacy Mission Authorities to hire the services of teachers or instructors on honorarium basis and services of Preraks, and State, District, Block level Coordinators on contractual basis with monthly honorarium (hereinafter referred to as **'Recipient beneficiaries'**);

And whereas, the aforesaid benefits in the form of honorarium, teaching and learning materials under the Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as **'the said Act'**), the Central Government hereby notifies the following, namely:--

1. Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries desirous of availing the benefits under the scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

2. Any Individual beneficiary or Recipient beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrollment by **31.3.2018**, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

3. As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned local authorities or Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory administration which requires an Individual beneficiary or Recipient beneficiary to furnish Aadhaar shall offer Aadhaar enrolment facilities for the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the local authorities or Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries, benefits under the Scheme shall be given to such Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) If she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) A copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 5 below; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card ; or (iii) Ration Card, or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card ; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (vii) Kisan Photo passbook; or (viii) any other documents specified by the concerned State Government or Territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the local authorities or concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory administration for that purpose.

4. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union Territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices through the State Literacy Mission Authority and their district and sub-district level agencies or committees, etc., shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by **31.3.2018**, in case they are not already enrolled.

(b) In case, the said beneficiaries of the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme through State Literacy Mission Authorities and their District and sub-district level agencies or committees, etc., is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may also be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other necessary details, with the concerned State Literacy Mission Authority and their district and sub-district level agencies or committees or through the web portal provided for the purpose.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette, in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 8-53/2016-AE-2]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

का.आ. 713(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है; और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विभाग" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), संस्थाओं और राज्य संसाधन केन्द्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एसआरसी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) जिसमें भारत की समेकित निधि से उपगत सौ प्रतिशत व्यय सम्मिलित है में सर्वत्र क्रियान्वयन अभिकरणों को समर्थन प्रदान करने के दावारा प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एनजीओ/संस्थाओं/एसआरसी के समर्थन के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है।

और, यह स्कीम राज्य संसाधन केंद्रों के माध्यम में साक्षर भारत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए तकनीकी और शैक्षिक संसाधन सहायता के विस्तार का उपबंध करती है, और जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रौढ़-निरक्षरों या नव साक्षरों और शिक्षा के प्रारंभिक स्तर प्राप्त करने वाले अन्य लक्षित फायदाग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। ये राज्य संसाधन केंद्र और जन शिक्षण संस्थान रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक एजेंसियों अथवा विश्वविद्यालयों के तत्वाधान में कार्य कर रहे हैं और स्कीम के अधीन वर्ष दर वर्ष आधार पर सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

और, राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षण अधिगम तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार करके; कृतकारियों का साहित्य संबंधी के प्रशिक्षण; कार्य अनुसंधान, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की भविष्य की जरूरतों की पहचान हेतु नवाचारी परियोजनाओं और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित किए समस्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रासंगिक किसी अन्य कार्य के लिए नवाचारी परियोजनाओं के माध्यम से विस्तारी तकनीकी और शैक्षिक संसाधन सहायता प्रदान करते हैं;

और जबकि, राज्य संसाधन केन्द्रों में समनुदेशित की गई सेवाओं को पूरा करने के लिए मासिक परिलब्धि के आधार पर संविदात्मक कोर कर्मचारियों को लगाया गया है और बुनियादी साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों हेतु शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए मानदेय आधार पर उपाय कुशल व्यक्तियों या अनुदेशकों की सेवाएं भी ली जाती हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को राज्य संसाधन केन्द्र की सेवांए उपलब्ध कराई जाती हैं और राज्य संसाधन केन्द्र के कार्यक्रमों के कोई प्रत्यक्ष फायदाग्राही नहीं हैं;

और, जन शिक्षण संस्थान जिला स्तरीय संस्थाएं हैं जो निरक्षरों और नव साक्षरों के साथ-साथ स्कूल बीच में छोड़ने वालों को पहचाने गए कौशलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वे मासिक परिलब्धि के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का प्रबंध करने के लिए मूल संविदात्मक स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। वे अलग-अलग व्यावसायों में वास्तविक प्रशिक्षण हेतु मानदेय आधार पर अनुदेशकों और उपाय कुशल व्यक्तियों की सेवाएं भी लेते हैं। जन शिक्षण संस्थान फायदाग्राहियों के कार्य प्रदर्शन हेतु अपेक्षित अवसंरचना और कम-से-कम प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था कर रहे हैं;

और, यह स्कीम शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण सुविधाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'व्यक्ति फायदाग्राही' कहा गया है) के रूप में निरक्षरों, नव-साक्षरों और स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तारी प्रसुविधा हेतु अवसर प्रदान करती है;

और, यह योजना राज्य संसाधन केन्द्रों तथा जन शिक्षण संस्थानों को नियत सेवाओं के लिए मासिक परिलब्धियों के आधार पर तथा जब कभी आवश्यक हो शिक्षकों या अनुदेशकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'प्राप्तकर्ता फायदाग्राही' कहा गया है) की सेवाएं मानदेय के आधार अनुबंध आधार पर लेने की अनुमति प्रदान करती है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(1) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्तिगत फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों को उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत पेश करना या आधार अभिप्रमाण प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी ऐसे फायदाग्राही या प्राप्तकर्ता फायदाग्राही को जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31.03.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार नामांकन के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार संबद्ध विभाग से अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांक सुविधाओं की प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी यदि उनके और संबद्ध ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र न होने के मामले में संबद्ध नहीं है तो विभाग से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर स्वयं आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परंतु व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 4 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्यांक (पीएएन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र पर व्यक्ति की फोटो सहित पहचान का प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों और उनके अभिकरणों या समितियों द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

4. योजना के अधीन व्यक्तिक फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के अधीन मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो उन्हें 31.03.2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्र में स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी।

(ख) यदि स्कीम के उक्त फायदाग्राही अपने नजदीकी क्षेत्र जैसे ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे निकटतम क्षेत्र में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण स्कीम को उक्त फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन नहीं करवा पाता है तो संबंधित विभाग से अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के अधीन व्यक्ति फायदाग्राहियों या प्राप्तकर्ता फायदाग्राहियों से उनके संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य आवश्यक ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध भी किया जा सकेगा।

5. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी।

[फा. सं. 8-53/2016-एई-2]

अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2017

S.O. 713(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development in the Government of India (hereinafter referred to as 'the Department') is implementing the Central Sector Scheme of **Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development** (hereinafter referred to as **'the Scheme'**) by providing support to implementation agencies across Non-Government Organisations (NGOs), Institutions and State Resource Centres (hereinafter referred to as 'SRCs') which involves hundred per cent expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the Scheme provides extension of technical and academic resource support to Saakshar Bharat and Adult Education programme through **State Resource Centres** and also provides skill training opportunities to adult non-literates or neo-literates and other targeted beneficiaries having rudimentary level of education through **Jan Shikshan Sansthans**. These State Resource Centres and Jan Shikshan Sansthans are

functioning under the aegis of Registered Voluntary Agencies or Universities and are getting grants-in-aid under the Scheme on year to year basis;

And whereas, the State Resource Centres extend technical and academic resource support through preparation of teaching learning and training materials for the Adult Education programme; training of literacy functionaries; action research; innovative projects to identify future needs of the Adult Education programme and any other function incidental to accomplishment of the overall objectives of the National Literacy Mission Authority or specifically assigned by the Ministry of Human Resource Development, Government of India;

And whereas, the State Resource Centres engage the services of core contractual staff for undertaking the assigned services on monthly emolument basis and also hire the services of Resource Persons or Instructors on honorarium basis for development of Teaching, Learning, Training and other materials for Basic Literacy and Adult Education programmes. The services of State Resource Centres are provided to the Adult Education programme and there are no direct beneficiaries of State Resource Centres' interventions;

And whereas, the Jan Shikshan Sansthans are district level institutions providing vocational training to non-literates and neo-literates as well as school dropouts in identified skills and they engage the services of core contractual staff for managing the vocational training services on monthly emolument basis. They also hire the services of Instructors or Resource Persons on honorarium basis for actual training in different vocations and the Jan Shikshan Sansthans are also arranging to provide requisite infrastructure and minimum training material for demonstration to the beneficiaries;

And whereas, the Scheme provides opportunities for extending benefits of Vocational Training programmes to non-literates, neo-literates and school dropouts in the form of teaching, learning materials, demonstration and training facilities (herein after referred to as **'Individual beneficiaries'**);

And whereas, the Scheme allows State Resource Centres and Jan Shikshan Sansthans to hire services of contractual staff for undertaking the assigned services on monthly emolument basis and services of teachers or instructors on honorarium basis as and when required (hereinafter referred to as **'Recipient beneficiaries'**);

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as **'the Act'**), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

(1) Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries desirous of availing the benefits under the Scheme for Adult Education and Skill Development are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Individual beneficiary or Recipient beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme for Adult Education and Skill Development, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrollment by **31.3.2017** provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) to get enrollment for Aadhaar.

(3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department through its implementation agencies which requires an Individual beneficiary or Recipient beneficiary to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department through its implementation agencies is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries, benefits under the said Scheme shall be given to such Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) If she or he has enrolled, her/his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) A copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 4 below; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (vii) Kisan Photo passbook; or (viii) any other documents specified by the concerned State Literacy Mission Authorities and their agencies or committees;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department for that purpose.

(4) In order to provide convenient and hassle free benefits to the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries, the Department through its implementation agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to Individuals beneficiaries or Recipient beneficiaries under the Scheme for Adult Education and Skill Development to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centre available in their areas by **31.3.2017** in case they are not already enrolled.

(b) In case, the said beneficiaries of the Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the concerned Department through its implementation agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the Individual beneficiaries or Recipient beneficiaries under the Scheme for Adult Education and Skill Development may also be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other necessary details with their concerned implementation agency or through the web portal provided for the purpose.

(5) This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 8-53/2016-AE-2]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

99

ANNEXURE P-36

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938
No. 412] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

का.आ. 455(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित रीति में सीधे उनकी हकदारियों को प्राप्त करवाने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

सारणी

क्र. सं.	स्कीम का नाम	प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण हेतु पात्र फायदाग्राही/सेवा सर्मथक
1	गृह कल्याण केन्द्रों में योग कक्षाओं का संचालन	योग प्रशिक्षक
2	गृह कल्याण केन्द्र को वर्षिक अनुदान	गृह कल्याण केन्द्र के कर्मचारीवृंद
3	आओ और खेलो स्कीम हेतु सहायता	सुविधा का उपभोग करने वाले सरकारी कर्मचारी
4	केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और कीडा बोर्ड द्वारा कोचिंग अकादमियां तथा ग्रीष्मकालीन शिविर	कोच

अतः अब, केन्द्रीय सरकार का कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात् :–

1. (1) उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्तियों (पात्र फायदाग्राही या सेवा सर्मथक) से अपेक्षा की जाती है कि वे आधार को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार का अधिप्रमाणन करवाएँ।

(2) उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट स्कीमों के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्ति को जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 28 फरवरी, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड से आधार के लिए ऐसे फायदाग्राहियों को, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, नामांकन सुविधाएँ प्रदान करने के अपेक्षा की जाती है और यदि पास–पडोस में अवस्थित कोई आधार नामांकन केन्द्र नही है तो गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएँ उपलब्ध करा सकेगा या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएँ प्रदान कर सकेगा:

परंतु व्यक्तियों का आधार नियत किए जाने के समय तक, उक्त स्कीमों के अधीन व्यक्तियों को प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात:–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 उपपैरा 2 में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति, तथा

(ख) (i) फोटो सहित बैंक की पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) पैन कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) चालान अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान कार्ड।

परन्तु यह और कि उक्त उपरोक्त दस्तावेजों की गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड द्वारा उनकी संबंधित स्कीम हेतु विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

2. (1) सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड सभी व्यवस्थाएं करेगा जिसके अन्तर्गत सेवा सर्मथकों या फायदाग्राहियों को उक्त स्कीमों के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकताओं के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार भी है और यदि उन्होनें नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 28 फरवरी, 2017 तक निकटतम नामांकन केन्द्रों में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी।

(2) यदि, फायदाग्राही, पास पडोस में नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में समर्थ नहीं है तो गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से नामांकन सुविधाएं सृजित करें। फायदाग्राही गृह कल्याण केन्द्र तथा केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड को नाम, पता, मोबाइल नम्बर, आदि अपने ब्यौरे देकर नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करा सकेगें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1194940/CWO/2016–DBT Cell]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

S.O. 455(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the schemes specified in the Table below involve expenditure incurred from the consolidated fund of India;

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheme	Eligible beneficiaries / Service enablers for the purpose of Direct Benefit Transfer
1.	Conduct of Yoga Classes at Grih Kalyan Kendras	Yoga Instructors
2.	Annual Grant to Grih Kalyan Kendras	Staff of Grih Kalyan Kendras
3.	Assistance for come and play scheme	Government employees availing the facility
4.	Coaching Academies and summer camps by the Central Civil Services Cultural and Sports Board	Coaches

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training hereby notified the following, namely:—

1. (1) Individuals (eligible beneficiaries or service enablers) desirous of availing benefits under the schemes specified in the Table above are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefits under the schemes specified in the above Table and is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 28th February, 2017, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, Grih Kalyan Kendras and the Central Civil Services Cultural and Sports Board are required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in absence of such Aadhaar enrolment centers located in the vicinity, the Grih Kalyan Kendras and the Central Civil Services Cultural and Sports Board may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the said schemes shall be given to the individual, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) Aadhaar enrolment ID slip if he or she has enrolled; or

(ii) a copy of request made for Aadhaar enrolment as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank Passbook along with Photo; or (ii) Voter's ID card; or (iii) PAN card; or (iv) Passport; or (v) Driving License; or (vi) Ration card; or (vii) Photo ID card issued by the Government:

Provided further that the above said documents shall be checked by an officer, specifically designated by Grih Kalyan Kendras and the Central Civil Services Cultural and Sports Board, for their respective schemes.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free delivery of benefits, Grih Kalyan Kendras and the Central Civil Services Cultural and Sports Board shall make all the arrangements including wide publicity through notices shall be given to service enablers or beneficiaries to make them aware of the requirements of Aadhaar to receive the benefits under the said schemes and in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers by 28th February, 2017.

(2) In case beneficiaries are not able to enroll due to non availability of enrolment centers in the vicinity, Grih Kalyan Kendras and Central Civil Services Cultural and Sports Board are required to create enrolment facilities at convenient locations by coordinating with UIDAI Registrars. The beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their details, such as, name, address, mobile number, etc., to Grih Kalyan Kendras and Central Civil Services Cultural and Sports Board .

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 1194940/CWO/2016-DBT CELL]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.15 23:19:02 +05'30'